



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-18072022-237331
CG-DL-W-18072022-237331

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 14]

नई दिल्ली, जुलाई 3—जुलाई 9, 2022, शनिवार/आषाढ़ 12—आषाढ़ 18, 1944

No. 14]

NEW DELHI, JULY 3—JULY 9, 2022, SATURDAY/ASHADHA 12—ASHADHA 18, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 26 मई, 2022

आ.अ. 89.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 23- रीगा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढ़ी, बिहार द्वारा प्रस्तुत और उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 08 जनवरी, 2021 के पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-23)रीगा-238 के जरिए अग्रेषित दिनांक 12 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री मोती लाल राउत, जो बिहार के 23- रीगा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले बिहार के (निर्दलीय) के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढ़ी, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री मोती लाल राउत को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री मोती लाल राउत को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी के भाई द्वारा प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी के भाई से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढ़ी, द्वारा अपने दिनांक 08 नवम्बर, 2021 के पत्र संख्या 448/ जि. निर्वा., सीतामढ़ी के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा दिनांक 08 नवम्बर, 2021 के पत्र संख्या 448/ /जि. निर्वा., सीतामढ़ी के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री मोती लाल राउत, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री मोती लाल राउत, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 23- रीगा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री मोती लाल राउत, निवासी ग्राम- बभनगामा गणेशपुर, थाना.- रीगा, जिला-सीतामढ़ी, बिहार। इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/23/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA**ORDER**

New Delhi, the 26th May, 2022

O.N. 89.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 23-Riga Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 12th December, 2020, submitted by the District Election Officer, Sitamarhi, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-23)Riga-238, dated 08 January, 2021, Shri Moti Lal Raut, a contesting candidate of Independent of Bihar from 23-Riga Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Sitamarhi, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Moti Lal Raut, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Shri Moti Lal Raut, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by candidate on 26th July, 2021, at the address given by Shri Moti Lal Raut, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Sitamarhi, vide its letter no. 448/District.Nirva, dated 08 November, 2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Sitamarhi, in his Supplementary Report, vide its letter No.448/Nirva., dated 08 November, 2021 has reported that Shri Moti Lal Raut, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Moti Lal Raut, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- ii. has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Moti Lal Raut, resident of Village- Babhangama Ganeshpur, Police station - Riga, District - Sitamarhi, Bihar and a contesting candidate from General Election to the Assembly Constituency of Bihar, 2020 of Independent, Bihar in 23-Riga Assembly Constituency of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/23/CEMS-III]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 मई, 2022

आ.अ. 90.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 23- रीगा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढी, बिहार द्वारा प्रस्तुत और उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 08 जनवरी, 2021 के पत्र सं. व्यय-21/2020(खंड-23) रीगा-238 के जरिए अग्रेषित दिनांक 12 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री राम बाबू साह, जो बिहार के 23- रीगा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले बिहार के (निर्दलीय) के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढी, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री राम बाबू साह, (निर्दलीय) को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री राम बाबू साह, (निर्दलीय) को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी के भाई द्वारा प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी के भाई से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढी, द्वारा अपने दिनांक 08 नवम्बर, 2021 के पत्र संख्या 448/ जि0 निर्वा0, सीतामढी के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढी द्वारा दिनांक 22 नवम्बर, 2021 के पत्र संख्या 448/ जि0 निर्वा0, सीतामढी के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री राम बाबू साह, (निर्दलीय) ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री राम बाबू साह, (निर्दलीय) निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 23- रीगा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले बिहार निर्दलीय के अभ्यर्थी श्री राम बाबू साह, पिता- नेवाला शाह निवासी ग्राम- खुशमारी, थाना.- रीगा, जिला- सीतामढ़ी, बिहार। इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/23/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th May, 2022

O.N. 90.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 23-Riga Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 12th December, 2020, submitted by the District Election Officer, Sitamarhi, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-23)Riga-238, dated 08 January, 2021, Shri Ram Babu Sah, a contesting candidate of Independent of Bihar from 23-Riga Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Sitamarhi, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Ram Babu Sah, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Shri Ram Babu Sah, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by candidate on 27th July, 2021, at the address given by Shri Ram Babu Sah, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Sitamarhi, vide its letter no. 448/District.Nirva, dated 08 November, 2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Sitamarhi, in his Supplementary Report, vide its letter No.448/Nirva., dated 08 November, 2021 has reported that Shri Ram Babu Sah, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Ram Babu Sah, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- ii. has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Ram Babu Sah, resident of Village- Kushmari, Police station - Riga, District - Sitamarhi, Bihar and a contesting candidate from General Election to the Assembly Constituency of Bihar, 2020 of Independent, Bihar in 23-Riga Assembly Constituency of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/23/CEMS-III]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 मई, 2022

आ.अ. 91.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 24-बथनाहा(अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखादाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढ़ी, बिहार द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना द्वारा पत्र सं. 2026 दिनांक 18 दिसंबर, 2020 के पत्र सं. EXP.-21/2020(खंड-24) बथनाहा(अ.जा.)/569 के जरिए अग्रेषित दिनांक 28 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार श्री कुनकुन मांझी, जो बिहार के 24-बथनाहा(अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले (भारतीय जनता पार्टी, लोकतांत्रिक) के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढ़ी, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री कुनकुन मांझी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री कुनकुन मांझी को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री कुनकुन मांझी द्वारा 08 जनवरी, 2022 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा अपने दिनांक 10 फरवरी, 2022 के पत्र संख्या 98/नि. के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा अपने दिनांक 10 फरवरी, 2022 के पत्र संख्या 98/नि. के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री कुनकुन मांझी ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री कुनकुन मांझी निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है;

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 24-बथनाहा (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री कुनकुन मांझी, निवासी-ग्राम+डाकघर-रीगा, जिला-सीतामढ़ी (बिहार), इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि.स./24/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th May, 2022

O.N. 91.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 24-Bathnaha Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 12th December, 2020, submitted by the District Election Officer, Sitamarhi, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-24) Bathnaha (SC)- 569, dated 28 January, 2021, Sh. Kunkun Manjhi, a contesting candidate of (Peoples Party of India (Democratic) of Bihar from 24- Bathnaha Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Sitamarhi, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Sh. Kunkun Manjhi for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Sh. Kunkun Manjhi, was directed to submit his representation

in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by candidate on 03rd January, 2022, at the address given by Sh. Kunkun Manjhi The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Sitamarhi, vide its letter no. 98/District.Nirva, dated 10 February, 2022;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Sitamarhi, in his Supplementary Report, vide its letter No.98/Nirva., dated 10 February, 2022 has reported that Sh. Kunkun Manjhi, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Sh. Kunkun Manjhi, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- ii. has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Kunkun Manjhi, resident of Vill+PO- Kharsan, PS- Riga, District-Sitamarhi, (Bihar) and a contesting candidate from General Election to the Assembly Constituency of Bihar, 2020 of (Peoples Party of India (Democratic), Bihar in 24-Bathnaha Assembly Constituency of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/24/CEMS-III/2020]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 मई, 2022

आ.अ. 92.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 24-बथनाहा(अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढ़ी, बिहार द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना द्वारा पत्र सं. 2026 दिनांक 18 दिसंबर, 2020 के पत्र सं. EXP.-21/2020(खंड-24) बथनाहा(अ.जा.)/569 के जरिए अग्रेषित दिनांक 28 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार श्री रवि रंजन पासवान, जो बिहार के 24-बथनाहा(अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले (जनता पार्टी) के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढ़ी, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के

अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री रवि रंजन पासवान को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री रवि रंजन पासवानको निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री रवि रंजन पासवान द्वारा 11 जनवरी, 2022 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा अपने दिनांक 10 फरवरी, 2022 के पत्र संख्या 98/नि.के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा अपने दिनांक 10 फरवरी, 2022 के पत्र संख्या 98/नि. के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री रवि रंजन पासवान ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री रवि रंजन पासवान निर्वाचन खर्चोंका लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 24-बथनाहा(अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री रवि रंजन पासवान, निवासी-ग्राम-कोठिया राय, वार्ड न.01, डाकघर-डुमरिका, थाना-सुप्ली जिला-सीतामढ़ी (बिहार), इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/24/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th May, 2022

O.N. 92.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 24-Bathnaha Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 12th December, 2020, submitted by the District Election Officer, Sitamarhi, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-24) Bathnaha (SC)- 569, dated 28 January, 2021, Sh. Ravi Ranjan Paswan, a contesting candidate of (Janta Party) of Bihar from 24- Bathnaha Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Sitamarhi, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Sh. Ravi Ranjan Paswan for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Sh. Ravi Ranjan Paswan, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by candidate on 11th January, 2022, at the address given by Sh. Ravi Ranjan Paswan. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Sitamarhi, vide its letter no. 98/District.Nirva, dated 10 February, 2022;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Sitamarhi, in his Supplementary Report, vide its letter No.98/Nirva., dated 10 February, 2022 has reported that Sh. Ravi Ranjan Paswan, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Sh. Ravi Ranjan Paswan, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- ii. has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Ravi Ranjan Paswan, resident of Vill- Kothiya Ray, Ward No. 01, PO- Dumrikala, PS+Block- Suppi, District- Sitamarhi, Pin Code- 843315 Bihar, and a contesting candidate from General Election to the Assembly Constituency of Bihar, 2020 of (Janta Party), Bihar in 24-Bathnaha Assembly Constituency of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/24/CEMS-III/2020]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 मई, 2022

आ.अ. 93.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 24-बथनाहा(अ.जा.) विधान सभानिर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढ़ी, बिहार द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना द्वारा पत्र सं. 2026 दिनांक 18 दिसंबर, 2020 के पत्र सं. EXP.-21/2020(खंड-24)बथनाहा(अ.जा.)/569 के जरिए अग्रेषित दिनांक 28 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार श्री विजय पासवान, जो बिहार के 24-बथनाहा(अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले (भारत किसान पार्टी) के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढ़ी, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री विजय पासवान को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री विजय पासवान को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री विजय पासवान द्वारा 03 जनवरी, 2022 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा अपने दिनांक 10 फरवरी, 2022 के पत्र संख्या 98/नि.के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा अपने दिनांक 10 फरवरी, 2022 के पत्र संख्या 98/नि.के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री विजय पासवान ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री विजय पासवान निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

क. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ख. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 24-बथनाहा(अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री विजय पासवान, निवासी-ग्राम+डाकघर+थाना-सहियारा, जिला-सीतमढ़ी(बिहार), इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/24/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th May, 2022

O.N. 93.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 24-Bathnaha Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 12th December, 2020, submitted by the District Election Officer, Sitamarhi, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-24) Bathnaha (SC)- 569, dated 28 January, 2021, Sh. Vijay Paswan, a contesting candidate of (Kisan Party of India) of Bihar from 24- Bathnaha Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Sitamarhi, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Sh. Vijay Paswan for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Sh. Vijay Paswan, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by candidate on 03rd January, 2022, at the address given by Sh. Vijay Paswan The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Sitamarhi, vide its letter no. 98/District.Nirva, dated 10 February, 2022;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Sitamarhi, in his Supplementary Report, vide its letter No.98/Nirva., dated 10 February, 2022 has reported that Sh. Vijay Paswan, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Sh. Vijay Paswan, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- ii. has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Vijay Paswan, resident of Vill+PO+PS- Sahiyara Distt-Sitamarhi, Pin- 843332 Bihar, and a contesting candidate from General Election to the Assembly Constituency of Bihar, 2020 of (Kisan Party of India), Bihar in 24-Bathnaha Assembly Constituency of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/24/CEMS-III/2020]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 मई, 2022

आ.अ. 94.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 24-बथनाहा(अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढ़ी, बिहार द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना द्वारा पत्र सं. 2026 दिनांक 18 दिसंबर, 2020 के पत्र सं. EXP.-21/2020(खंड-24)बथनाहा(अ.जा.)/569 के जरिए अग्रेषित दिनांक 28 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार श्री शंकर कुमार पासवान, जो बिहार के 24-बथनाहा(अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले (राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, सत्य) के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढ़ी, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री शंकर कुमार पासवान को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री शंकर कुमार पासवान को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री शंकर कुमार पासवान द्वारा 05 जनवरी, 2022 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा अपने दिनांक 10 फरवरी, 2022 के पत्र संख्या 98/नि. के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा अपने दिनांक 10 फरवरी, 2022 के पत्र संख्या 98/नि. के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री शंकर कुमार पासवान ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री शंकर कुमार पासवान निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- क. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ख. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 24-बथनाहा(अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री शंकर कुमार पासवान, निवासी-ग्राम+डाकघर+थाना-मेजोरगंज, जिला-सीतामढ़ी(बिहार), इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स. /24/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th May, 2022

O.N. 94.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 24-Bathnaha Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 12th December, 2020, submitted by the District Election Officer, Sitamarhi, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-24) Bathnaha (SC)- 569, dated 28 January, 2021, Sh. Shankar Kumar Paswan, a contesting candidate of (Rashtrawadi Janlok Party (Satya) of Bihar from 24- Bathnaha Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Sitamarhi, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Sh. Shankar Kumar Paswan, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Sh. Shankar Kumar Paswan, was directed to submit his

representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by candidate on 05th January, 2022, at the address given by Sh. Shankar Kumar Paswan, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Sitamarhi, vide its letter no. 98/District.Nirva, dated 10 February, 2022;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Sitamarhi, in his Supplementary Report, vide its letter No.98/Nirva., dated 10 February, 2022 has reported that Sh. Shankar Kumar Paswan, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Sh. Shankar Kumar Paswan, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- ii. has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Shankar Kumar Paswan, resident of Vill+PO+PS- Mejorganj, Distt- Sitamarhi, Pin- 843332 Bihar, and a contesting candidate from General Election to the Assembly Constituency of Bihar, 2020 of (Rashtrawadi Janlok Party (Satya), Bihar in 24-Bathnaha Assembly Constituency of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/24/CEMS-III/2020]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 मई, 2022

आ.अ. 95.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखों की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 24-बथनाहा(अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढ़ी, बिहार द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना द्वारा पत्र सं. 2026 दिनांक 18 दिसंबर, 2020 के पत्र सं. EXP.-21/2020(खंड-24) बथनाहा(अ.जा.)/569 के जरिए अग्रेषित दिनांक 28 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार श्री रामफल सदा, जो बिहार के 24-बथनाहा (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढ़ी, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री रामफल सदा को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री रामफल सदा को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा नप्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री रामफल सदा द्वारा 03 जनवरी, 2022 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा अपने दिनांक 10 फरवरी, 2022 के पत्र संख्या 98/नि. के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा अपने दिनांक 10 फरवरी, 2022 के पत्र संख्या 98/नि. के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री रामफल सदा ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री रामफल सदा निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- क. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ख. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 24-बथनाहा(अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री रामफल सदा, निवासी-ग्राम-चकवा, Sडाकघर-बथनाहा, थाना-बथनाहा, जिला-सीतामढ़ी (बिहार), इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/24/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th May, 2022

O.N. 95.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 24-Bathnaha Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 12th December, 2020, submitted by the District Election Officer, Sitamarhi, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-24) Bathnaha (SC)- 569, dated 28 January, 2021, Sh. Ramphl Sada, a contesting candidate of (Independent) of Bihar from 24- Bathnaha Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Sitamarhi, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Sh. Ramphl Sada, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Sh. Ramphl Sada, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by candidate on 03rd January, 2022, at the address given by Sh. Ramphl Sada, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Sitamarhi, vide its letter no. 98/District.Nirva, dated 10 February, 2022;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Sitamarhi, in his Supplementary Report, vide its letter No.98/Nirva., dated 10 February, 2022 has reported that Sh. Ramphl Sada, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Sh. Ramphl Sada, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- ii. has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Ramphl Sada, resident of Vill- Chakwa, PO- Bathnaha PS- Bathnaha, District- Sitamarhi, Pin- 843302 Bihar, and a contesting candidate from General Election to the Assembly Constituency of Bihar, 2020 of (Independent), Bihar in 24-Bathnaha Assembly Constituency of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/24/CEMS-III/2020/2020

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 मई, 2022

आ.अ. 96.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 24-बथनाहा (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढ़ी, बिहार द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना द्वारा पत्र सं. 2026 दिनांक 18 दिसंबर, 2020 के पत्र सं. EXP.-21/2020(खंड-24) बथनाहा (अ.जा.)/569 के जरिए अग्रेषित दिनांक 28 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार श्री लालू दास, जो बिहार के 24-बथनाहा (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढ़ी, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री लालू दास को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री लालू दास को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री लालू दास द्वारा 24 दिसंबर, 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा अपने दिनांक 10 फरवरी, 2022 के पत्र संख्या 98/नि. के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा अपने दिनांक 10 फरवरी, 2022 के पत्र संख्या 98/नि. के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री लालू दास ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री लालू दास निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- क. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ख. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 24-बथनाहा (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री लालू दास, निवासी-मकान न. 132, वार्ड न. 10, ग्राम-रामनगर रसूलपुर, डाकघर-सोनबरसा, जिला-सीतामढ़ी (बिहार), इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए

संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./24/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th May, 2022

O.N. 96.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 24-Bathnaha Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 12th December, 2020, submitted by the District Election Officer, Sitamarhi, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-24) Bathnaha (SC)- 569, dated 28 January, 2021, Sh. Lalu Das, a contesting candidate of (Independent) of Bihar from 24- Bathnaha Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Sitamarhi, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Sh. Lalu Das, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Sh. Lalu Das, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by candidate on 24th December, 2021, at the address given by Sh. Lalu Das, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Sitamarhi, vide its letter no. 98/District.Nirva, dated 10 February, 2022;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Sitamarhi, in his Supplementary Report, vide its letter No.98/Nirva., dated 10 February, 2022 has reported that Sh. Lalu Das, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Sh. Lalu Das, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- ii. has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Lalu Das, resident of House No. 132, Ward No. 10 Vill- Ramnagar Rasulpur, PO- Sonbarsa, District- Sitamarhi, Pincode- 843330 Bihar, and a contesting candidate from General Election to the Assembly Constituency of Bihar, 2020 of (Independent), Bihar in 24-Bathnaha Assembly Constituency

of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA /24/CEMS-III/2020]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 मई, 2022

आ.अ. 97.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 24-बथनाहा(अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढ़ी, बिहार द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना द्वारा पत्र सं. 2026 दिनांक 18 दिसंबर, 2020 के पत्र सं. EXP.-21/2020(खंड-24)बथनाहा(अ.जा.)/569 के जरिए अग्रेषित दिनांक 28 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती अनीता देवी, जो बिहार के 24-बथनाहा(अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढ़ी, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्रीमती अनीता देवी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्रीमती अनीता देवी को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्रीमती अनीता देवी द्वारा 03 जनवरी, 2022 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा अपने दिनांक 10 फरवरी, 2022 के पत्र संख्या 98/नि. के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा अपने दिनांक 10 फरवरी, 2022 के पत्र संख्या 98/नि. के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्रीमती अनीता देवी ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्रीमती अनीता देवी निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- क. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ख. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 24-बथनाहा(अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्रीमती अनीता देवी, निवासी-ग्राम-धुमहा, डाकघर-योगीवाना, थाना-सहियर, जिला-सीतामढ़ी (बिहार), इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/24/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th May, 2022

O.N. 97.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 24-Bathnaha Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 12th December, 2020, submitted by the District Election Officer, Sitamarhi, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-24) Bathnaha (SC)- 569, dated 28 January, 2021, Smt. Anita Devi, a contesting candidate of (Independent) of Bihar from 24- Bathnaha Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Sitamarhi, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Smt. Anita Devi for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Smt. Anita Devi, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by candidate on 03rd January, 2022, at the address given by Smt. Anita Devi, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Sitamarhi, vide its letter no. 98/District.Nirva, dated 10 February, 2022;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Sitamarhi, in his Supplementary Report, vide its letter No.98/Nirva., dated 10 February, 2022 has reported that Smt. Anita Devi, has neither submitted any representation nor

any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Smt. Anita Devi, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- ii. has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Smt. Anita Devi, resident of Vill- Dhumha, PO- Yogiwana, Via- Majhauilya Estate, PS- Sahiyara, District- Sitamarhi, Pincode- 843322 Bihar, and a contesting candidate from General Election to the Assembly Constituency of Bihar, 2020 of (Independent), Bihar in 24-Bathnaha Assembly Constituency of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/24/CEMS-III/2020]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 मई, 2022

आ.अ. 98.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेख की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 25 – परिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढ़ी, बिहार द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 08 जनवरी, 2021 के पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-25)परिहार-254 के जरिए अग्रेषित दिनांक 12 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार अमजद हुसैन अनवर, जो बिहार के 25- परिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले बिहार के (राष्ट्रीय लोक समता पार्टी) के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढ़ी, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए अमजद हुसैन अनवर, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए अमजद हुसैन अनवर, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त

होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी के द्वारा प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढी द्वारा अपने दिनांक 08 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 449/निर्वा0, सीतामढी के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढी द्वारा दिनांक 08 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 449/निर्वा., सीतामढी के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अमजद हुसैन अनवर, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि अमजद हुसैन अनवर, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 25- परिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी अमजद हुसैन अनवर, निवासी ग्राम+पो0- गराहिया, थाना- शिवहर, जिला-शिवहर, बिहार। इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/25/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th May, 2022

O.N. 98.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 25-Parihar Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 12th December, 2020, submitted by the District Election Officer, Sitamarhi, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-25)Parihar-254, dated 08 January, 2021, Amjad Hussain Anwar, a contesting candidate of (Rashtriya

Lok Samta Party) of Bihar from 25- Parihar Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Sitamarhi, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Amjad Hussain Anwar, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Amjad Hussain Anwar, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by candidate on 11th August, 2021, at the address given by Amjad Hussain Anwar, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Sitamarhi, vide its letter no. 449/District.Nirva, dated 08 November, 2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Sitamarhi, in his Supplementary Report, vide its letter No.449/Nirva., dated 08 November, 2021 has reported that Amjad Hussain Anwar, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Amjad Hussain Anwar, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- ii. has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Amjad Hussain Anwar, resident of Village+PO- Garahiya, Police station – Sheohar, District - Sheohar, Bihar and a contesting candidate from General Election to the Assembly Constituency of Bihar, 2020 of (Rashtriya Lok Samta Party), Bihar in 25-Parihar Assembly Constituency of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/25/CEMS-III]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 मई, 2022

आ.अ. 99.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 25 – परिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढी, बिहार द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 08 जनवरी, 2021 के पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-25)परिहार-254 के जरिए अग्रेषित दिनांक 12 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार मोहम्मद जो बिहार के 25- परिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले बिहार के (जनता दल राष्ट्रवादी) के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढी, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए मोहम्मद, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए मोहम्मद, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी के द्वारा प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढी द्वारा अपने दिनांक 08 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 449/निर्वा0, सीतामढी के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढी द्वारा दिनांक 08 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 449/निर्वा., सीतामढी के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि मोहम्मद, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि मोहम्मद, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 25- परिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी मोहम्मद, निवासी ग्राम- अखरडीहा, डाकघर- सोनौल महोदे, थाना- मेदरगंज, जिला-सीतामढी, पिनकोड-843332, बिहार। इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/25/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th May, 2022

O.N. 99.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 25-Parihar Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 12th December, 2020, submitted by the District Election Officer, Sitamarhi, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-25)Parihar-254, dated 08 January, 2021, Mohammad, a contesting candidate of (Janta Dal Rashtravadi) of Bihar from 25- Parihar Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Sitamarhi, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Mohammad, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Mohammad, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by candidate on 29th July, 2021, at the address given by Mohammad, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Sitamarhi, vide its letter no. 449/District.Nirva, dated 08 November, 2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Sitamarhi, in his Supplementary Report, vide its letter No.449/Nirva., dated 08 November, 2021 has reported that Mohammad, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Mohammad, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and
- ii. has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Mohammad, resident of Village- Akhardiha, PO- Sonaul Mahoday, PS- Majorganj, District – Sitamarhi, PIN- 843332 Bihar, and a contesting candidate from General Election to the Assembly Constituency of Bihar, 2020 of (Janta Dal Rashtravadi), Bihar in 25-Parihar Assembly Constituency of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/25/CEMS-III]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 मई, 2022

आ.अ. 100.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 25 – परिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीतामढी**, बिहार द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 08 जनवरी, 2021 के पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-25)परिहार-254 के जरिए अग्रेषित दिनांक 12 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **अब्दुल शालिक** जो बिहार के **25- परिहार** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले बिहार के **(जनता कांग्रेस)** के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीतामढी**, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **अब्दुल शालिक**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **अब्दुल शालिक**, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी के बेटे द्वारा प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी के बेटे से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीतामढी** द्वारा अपने दिनांक 08 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 449/निर्वा0, **सीतामढी** के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीतामढी** द्वारा दिनांक 08 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 449/निर्वा., **सीतामढी** के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **अब्दुल शालिक**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **अब्दुल शालिक**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **25- परिहार** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **अब्दुल शालिक, निवासी ग्राम- डेमहुआ, परिहार उत्तरी, डाकघर+थाना- परिहार, जिला-सीतामढी, बिहार**। इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/25/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th May, 2022

O.N. 100.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **25-Parihar** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated **12th December, 2020**, submitted by the District Election Officer, **Sitamarhi**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-25) Parihar-254, dated 08 January, 2021, **Abdul Salik**, a contesting candidate of (**Janata Congress**) of Bihar from **25- Parihar** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Sitamarhi**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Abdul Salik**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Abdul Salik**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received her Daughter on 08th October, 2021, at the address given by **Abdul Salik**, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Sitamarhi**, vide its letter no. 449/District.Nirva, dated 08 November, 2021;

AND WHEREAS, **the District Election Officer, Sitamarhi**, in his Supplementary Report, vide its letter No.449/Nirva., dated 08 November, 2021 has reported that **Abdul Salik**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Abdul Salik**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Abdul Salik**, resident of **Village- Demhua, Parihar Uttari, PO+PS- Parihar, District- Sitamarhi, Bihar**, and a contesting candidate from General Election to the Assembly Constituency of Bihar, 2020 of **(Janata Congress)**, Bihar in **25-Parihar** Assembly Constituency of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/25/CEMS-III]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 मई, 2022

आ.अ. 101.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 25 – परिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीतामढी**, बिहार द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 08 जनवरी, 2021 के पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-25)परिहार-254 के जरिए अग्रेषित दिनांक 12 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री चन्दन कुमार**, जो बिहार के **25- परिहार** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले बिहार के **(भारतीय सबलॉग पार्टी)** के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीतामढी**, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री चन्दन कुमार**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री चन्दन कुमार**, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी के द्वारा प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीतामढी** द्वारा अपने दिनांक 08 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 449/निर्वा0, **सीतामढी** के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीतामढी** द्वारा दिनांक 08 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 449/निर्वा., **सीतामढी** के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री चन्दन कुमार**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन

आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री चन्दन कुमार, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **25- परिहार** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री चन्दन कुमार, निवासी ग्राम- सहसराम, वार्ड नं.- 05, डाकघर- बराही, थाना- बराही, जिला-सीतामढ़ी, पिनकोड-843324, बिहार। इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/25/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th May, 2022

O.N. 101.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **25-Parihar** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated **12th December, 2020**, submitted by the District Election Officer, **Sitamarhi**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-25)Parihar-254, dated 08 January, 2021, **Sh. Chandan Kumar**, a contesting candidate of (**Bhartiya Sablog Party**) of Bihar from **25- Parihar** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Sitamarhi**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Chandan Kumar**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Sh. Chandan Kumar**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by candidate on 08th September, 2021, at the address given by **Sh. Chandan Kumar**, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Sitamarhi**, vide its letter no. 449/District.Nirva, dated 08 November, 2021;

AND WHEREAS, the **District Election Officer, Sitamarhi**, in his Supplementary Report, vide its letter No. 449/Nirva., dated 08 November, 2021 has reported that **Sh. Chandan Kumar**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Chandan Kumar**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Chandan Kumar**, resident of **Village- Sahasram, Ward No. 5, PO- Barahi, PS- Parihar, District – Sitamarhi, PIN- 843324 Bihar**, and a contesting candidate from General Election to the Assembly Constituency of Bihar, 2020 of **(Bhartiya Sablog Party)**, Bihar in **25-Parihar** Assembly Constituency of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/25/CEMS-III]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 मई, 2022

आ.अ. 102.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 25 – परिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीतामढी**, बिहार द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 08 जनवरी, 2021 के पत्र सं. व्यय-21/2020(खंड-25)परिहार-254 के जरिए अग्रेषित दिनांक 12 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री गणेश साहू**, जो बिहार के **25- परिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** से निर्वाचन लड़ने वाले बिहार के **(निर्दलीय)** के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढी, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम, (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री गणेश साह, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री गणेश साह, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी के पोता द्वारा प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी के पोता से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढी द्वारा अपने दिनांक 08 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 449/निर्वा., सीतामढी के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतामढी द्वारा दिनांक 08 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 449/निर्वा., सीतामढी के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री गणेश साह, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री गणेश साह, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **25- परिहार** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री गणेश साह, निवासी ग्राम- इंदरवा, तोले नरकटिया, थाना- सोनबरसा, डाकघर- ढालकावा, जिला- सीतामढी, बिहार। इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/25/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th May, 2022

O.N. 102.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **25-Parihar** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated **12th December, 2020**, submitted by the District Election Officer, **Sitamarhi**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-25)Parihar-254, dated 08 January, 2021, **Sh. Ganesh Sah**, a contesting candidate of **(Independent)** of Bihar from **25- Parihar** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Sitamarhi**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Ganesh Sah**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Sh. Ganesh Sah**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received her grandson on 08th September, 2021, at the address given by **Sh. Ganesh Sah**, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Sitamarhi**, vide its letter no. 449/District.Nirva, dated 08 November, 2021;

AND WHEREAS, **the District Election Officer, Sitamarhi**, in his Supplementary Report, vide its letter No.449/Nirva., dated 08 November, 2021 has reported that **Sh. Ganesh Sah**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Ganesh Sah**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Ganesh Sah**, resident of **Village- Indarva, Tole Narkatiya, PS- Sonbarsa, PO- Dhalkawa, District - Sitamarhi, Bihar** and a contesting candidate from General Election to the Assembly Constituency of Bihar, 2020 of **(Independent)**, Bihar in **25-Parihar** Assembly Constituency of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/25/CEMS-III]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 मई, 2022

आ.अ. 103.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 26 – सुरसंड विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीतामढी**, बिहार द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 08 जनवरी, 2021 के पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-26)सुरसंड-250 के जरिए अग्रेषित दिनांक 12 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **एम.डी. फैजल अहमद**, जो बिहार के **26- सुरसंड विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** से निर्वाचन लड़ने वाले बिहार के (**इंडियन नेशनल लीग**) के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीतामढी**, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **फैजल अहमद**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **एम.डी फैजल अहमद**, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी के बेटा के द्वारा प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी के बेटा से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीतामढी** द्वारा अपने दिनांक 08 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 451/निर्वा0, **सीतामढी** के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीतामढी** द्वारा दिनांक 08 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 451/निर्वा., **सीतामढी** के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **एम.डी फैजल अहमद**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **एम.डी फैजल अहमद**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **26- सुरसंड विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले बिहार के **इंडियन नेशनल लीग** अभ्यर्थी **एम.डी.फैजल अहमद**, **निवासी ग्राम- बरी बौरना, वार्ड नं.- 05, पोस्ट- बौरना, पी.एस- गोरारी, जिला- खगड़िया, पिनकोड-851202, बिहार।** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/26/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th May, 2022

O.N. 103.—WHEREAS, WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **26-Sursund** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated **12th December, 2020**, submitted by the District Election Officer, **Sitamarhi**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-26)Sursund-250, dated 08 January, 2021, **M.d. Faisal Ahamad**, a contesting candidate of **(Indian National League)** of Bihar from **26- Sursund** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Sitamarhi**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **M.d. Faisal Ahamad**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **M.d. Faisal Ahamad**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received her son on 05th August, 2021, at the address given by **M.d. Faisal Ahamad**, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Sitamarhi**, vide its letter no. 451/District.Nirva, dated 08 November, 2021;

AND WHEREAS, the **District Election Officer, Sitamarhi**, in his Supplementary Report, vide its letter No.451/Nirva., dated 08 November, 2021 has reported that **M.d. Faisal Ahamad**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **M.d. Faisal Ahamad**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **M.d. Faisal Ahamad**, resident of **Village- Bari Baurna, Ward-5 Post- Baurna, PS- Gorari, District - Khargariya, Pin- 851202 Bihar** and a contesting candidate from General Election to the Assembly Constituency of Bihar, 2020 of **(Indian National League)**, Bihar in **26-Sursund** Assembly Constituency of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/26/CEMS-III]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 मई, 2022

आ.अ. 104.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 27 – बाजपट्टी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीतामढी**, बिहार द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 08 जनवरी, 2021 के पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-27)बाजपट्टी-251 के जरिए अग्रेषित दिनांक 12 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री भोला साहनी**, जो बिहार के **27 – बाजपट्टी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले बिहार के **(हिन्दु समाज पार्टी)** के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीतामढी**, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री भोला साहनी**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री भोला साहनी**, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी के पत्नी के द्वारा प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी के पत्नी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीतामढी** द्वारा अपने दिनांक 08 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 450/निर्वा0, **सीतामढी** के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीतामढी** द्वारा दिनांक 08 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 450/निर्वा., **सीतामढी** के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **देवन्द्र झा**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री भोला साहनी**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **27- बाजपट्टी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले बिहार (हिन्दु समाज पार्टी) के अभ्यर्थी **श्री भोला साहनी, ग्राम- कुरहार, डाकघर- धाधी, थाना- नानपुर, जिला- सीतामढी, बिहार।** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/27/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th May, 2022

O.N. 104.—WHEREAS, WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **27-Bajpatti** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated **12th December, 2020**, submitted by the District Election Officer, **Sitamarhi**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-27) Bajpatti-251, dated 08 January, 2021, **Sh. Bhola Sahni**, a contesting candidate of (**Hindu Samaj Party**) of Bihar from **27- Bajpatti** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Sitamarhi**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Bhola Sahni**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Sh. Bhola Sahni**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received her Wife on 02nd October, 2021, at the address given by **Sh. Bhola Sahni**, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Sitamarhi**, vide its letter no. 450/District.Nirva, dated 08 November, 2021;

AND WHEREAS, **the District Election Officer, Sitamarhi**, in his Supplementary Report, vide its letter No.450/Nirva., dated 08 November, 2021 has reported that **Sh. Bhola Sahni**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Bhola Sahni**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Bhola Sahni**, resident of **AT- Kurhar, PO- Dhadhi, PS- Nanpur, District- Sitamarhi** and a contesting candidate from General Election to the Assembly Constituency of Bihar, 2020 of (**Hindu Samaj party**), Bihar in **27-Bajpatti** Assembly Constituency of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/27/CEMS-III]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 मई, 2022

आ.अ. 105.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 27 – बाजपट्टी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीतामढी**, बिहार द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 08 जनवरी, 2021 के पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-27)बाजपट्टी-251 के जरिए अग्रेषित दिनांक 12 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **मो. अनीसुर रहमान**, जो बिहार के **27 – बाजपट्टी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले बिहार के (**जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक**), के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीतामढी**, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **मो. अनीसुर रहमान**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **मो. अनीसुर रहमान**, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी के द्वारा प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीतामढी** द्वारा अपने दिनांक 08 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 450/निर्वा0, **सीतामढी** के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीतामढी** द्वारा दिनांक 08 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 450/निर्वा., **सीतामढी** के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **मो. अनीसुर रहमान**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन

आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **मो. अनीसुर रहमान**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **27- बाजपट्टी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले बिहार (जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक) के अभ्यर्थी **मो. अनीसुर रहमान, वार्ड न.- 03, ग्राम+डाकघर+थाना- नानपुर, जिला- सीतामढी, बिहार।** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/27/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th May, 2022

O.N. 105.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **27-Bajpatti** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated **12th December, 2020**, submitted by the District Election Officer, **Sitamarhi**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-27)Bajpatti-251, dated 08 January, 2021, **MD. Anisur Rahaman**, a contesting candidate of (**Jan Adhikar Party Loktantrik**) of Bihar from **27- Bajpatti** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Sitamarhi**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **MD. Anisur Rahaman** for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **MD. Anisur Rahaman**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by candidate on 21st September, 2021, at the address given by **MD. Anisur Rahaman** The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Sitamarhi**, vide its letter no. 450/District.Nirva, dated 08 November, 2021;

AND WHEREAS, the **District Election Officer, Sitamarhi**, in his Supplementary Report, vide its letter No.450/Nirva., dated 08 November, 2021 has reported that **MD. Anisur Rahaman**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **MD. Anisur Rahaman**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **MD. Anisur Rahaman**, resident of **Ward No. 3 Vill+PO+ PS- Nanpur, District- Sitamarhi** and a contesting candidate from General Election to the Assembly Constituency of Bihar, 2020 of **(Jan Adhikar Party Loktantrik)**, Bihar in **27-Bajpatti** Assembly Constituency of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/27/CEMS-III]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 मई, 2022

आ.अ. 106.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 27 – बाजपट्टी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीतामढ़ी**, बिहार द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 08 जनवरी, 2021 के पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-27)बाजपट्टी-251 के जरिए अग्रेषित दिनांक 12 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री नागेन्द्र मिश्रा**, जो बिहार के **27 – बाजपट्टी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले बिहार के **(निर्दलीय)** के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीतामढ़ी**, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत

निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री नागेन्द्र मिश्रा**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री नागेन्द्र मिश्रा**, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी के द्वारा प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीतामढी** द्वारा अपने दिनांक 08 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 450/निर्वा0, सीतामढी के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीतामढी** द्वारा दिनांक 08 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 450/निर्वा., सीतामढी के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री नागेन्द्र मिश्रा**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री नागेन्द्र मिश्रा**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **27- बाजपट्टी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले बिहार निर्दलीय के अभ्यर्थी **श्री नागेन्द्र मिश्रा**, निवासी ग्राम- **बनगाँव, डाकघर+थाना- बाजपट्टी, जिला- सीतामढी, बिहार**। इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/27/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th May, 2022

O.N. 106.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **27-Bajpatti** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated **12th December, 2020**, submitted by the District Election Officer, **Sitamarhi**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-27)Bajpatti-251, dated 08 January, 2021, **Sh. Nagendra Mishra**, a contesting candidate of **(Independent)** of Bihar from **27- Bajpatti** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Sitamarhi**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Nagendra Mishra**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Sh. Nagendra Mishra**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by candidate on 30th July, 2021, at the address given by **Sh. Nagendra Mishra**, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Sitamarhi**, vide its letter no. 450/District.Nirva, dated 08 November, 2021;

AND WHEREAS, the **District Election Officer, Sitamarhi**, in his Supplementary Report, vide its letter No.450/Nirva., dated 08 November, 2021 has reported that **Sh. Nagendra Mishra**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Nagendra Mishra**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (i) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (ii) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Nagendra Mishra**, resident of **Vill- Bangaun, PO+PS- Bajpatti, District -Sitamarhi, Bihar** and a contesting candidate from General Election to the Assembly Constituency of Bihar, 2020 of **(Independent)**, Bihar in **27-Bajpatti** Assembly Constituency of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/27/CEMS-III]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 मई, 2022

आ.अ. 107.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 27 – बाजपट्टी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीतामढी**, बिहार द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 08 जनवरी, 2021 के पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-27)बाजपट्टी-251 के जरिए अग्रेषित दिनांक 12 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **देवन्द्र झा**, जो बिहार के **27 – बाजपट्टी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले बिहार के **(निर्दलीय)** के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीतामढी**, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री देवन्द्र झा**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री देवन्द्र झा**, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी के द्वारा प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीतामढी** द्वारा अपने दिनांक 08 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 450/निर्वा0, **सीतामढी** के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीतामढी** द्वारा दिनांक 08 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 450/निर्वा., **सीतामढी** के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **देवन्द्र झा**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री देवन्द्र झा**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **27- बाजपट्टी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले बिहारी के **निर्दलीय** अभ्यर्थी **देवन्द्र झा**, निवासी ग्राम- बाशा, डाकघर- मधुबन, थाना- बाजपट्टी, जिला- सीतामढी, पिनकोड-843314, बिहार। इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/27/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th May, 2022

O.N. 107.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **27-Bajpatti** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated **12th December, 2020**, submitted by the District Election Officer, **Sitamarhi**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-27)Bajpatti-251, dated 08 January, 2021, **Sh. Devendra Jha**, a contesting candidate of **(Independent)** of Bihar from **27- Bajpatti** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Sitamarhi**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Devendra Jha**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Sh. Devendra Jha**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by candidate on 30th July, 2021, at the address given by **Sh. Devendra Jha**, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Sitamarhi**, vide its letter no. 450/District.Nirva, dated 08 November, 2021;

AND WHEREAS, **the District Election Officer, Sitamarhi**, in his Supplementary Report, vide its letter No.450/Nirva., dated 08 November, 2021 has reported that **Sh. Devendra Jha**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Devendra Jha**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- iii. *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- iv. *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Devendra Jha**, resident of **AT- Basha, PO- Madhuban Basha, PS- Bajpatti, District -Sitamarhi, Pin- 843314 Bihar** and a contesting candidate from General Election to the Assembly Constituency of Bihar, 2020 of **(Independent)**, Bihar in **27-Bajpatti** Assembly Constituency of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/27/CEMS-III]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 26 मई, 2022

आ.अ. 108.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः 30 – बेलसंड विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीतामढी**, बिहार द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 08 जनवरी, 2021 के पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-30)बेलसंड-253 के जरिए अग्रेषित दिनांक 12 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री सुबोध कुमार राय**, जो बिहार के **30- बेलसंड विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** से निर्वाचन लड़ने वाले बिहार के **(जन अधिकार पार्टी, लोकतांत्रिक)** के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीतामढी**, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री सुबोध कुमार राय**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री सुबोध कुमार राय**, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी के द्वारा प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीतामढी** द्वारा अपने दिनांक 08 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 452/निर्वा0, **सीतामढी** के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीतामढी** द्वारा दिनांक 08 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 452/निर्वा., **सीतामढी** के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री सुबोध कुमार राय**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री सुबोध कुमार राय**, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **30- बेलसंड** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री सुबोध कुमार राय, निवासी ग्राम- रामवन, पो0- फुलकाहाँ, थाना- श्यामपुर भटहाँ, प्रखंड- डुमरी कटसरी, जिला- शिवहर, बिहार।** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार-वि.स./2020/30/सी.ई.एम.एस.-III]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th May, 2022

O.N. 108.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **30-Belsund** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated **12th December, 2020**, submitted by the District Election Officer, **Sitamarhi**, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-30)Belsund-253, dated 08 January, 2021, **Shri Subodh Kumar Rai**, a contesting candidate of (**Jan Adhikar Party, Loktantrik**) of Bihar from **30-Belsund** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Sitamarhi**, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Subodh Kumar Rai**, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, **Shri Subodh Kumar Rai**, was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by candidate on 06th August, 2021, at the address given by **Shri Subodh Kumar Rai**, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Sitamarhi**, vide its letter no. 452/District.Nirva, dated 08 November, 2021;

AND WHEREAS, **the District Election Officer, Sitamarhi**, in his Supplementary Report, vide its letter No.452/Nirva., dated 08 November, 2021 has reported that **Shri Subodh Kumar Rai**, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Shri Subodh Kumar Rai**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- ii. has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order”;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Subodh Kumar Rai**, resident of **Village-Ramvan, Police station – Shyampur Bhatahan, Post- Phulkahan District - Sheohar, Bihar** and a contesting candidate from General Election to the Assembly Constituency of Bihar, 2020 of **(Jan Adhikar Party, Loktantrik)**, Bihar in **30-Belsund** Assembly Constituency of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/30/CEMS-III]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 6 जून, 2022

आ.अ. 109.—यतः, यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2021 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/16/2021 के जरिए पश्चिम बंगाल के 43-हबीबपुर (एस.टी.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2021 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रतिलिपि संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी है; और

यतः, 43-हबीबपुर (एस.टी.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 02 मई, 2021 को घोषित किए गए थे और इसलिए, आयोग के आदेश दिनांक 30.06.2021 के अनुसार निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 31 जुलाई, 2021 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मालदा, पश्चिम बंगाल, द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, श्री बिस्वनाथ मरडी (केपीपी) (युनाइटेड), जो पश्चिम बंगाल के 43-हबीबपुर (एस.टी.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन, 2021 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री बिस्वनाथ मरडी (केपीपी) (युनाइटेड), को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/डब्ल्यूबी-एलए/43/2021/सीईएमएस-IV/122 दिनांक 03 जनवरी, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री बिस्वनाथ मरडी (केपीपी) (युनाइटेड), को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर, मालदा, पश्चिम बंगाल को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मालदा, पश्चिम बंगाल ने बताया है कि श्री बिस्वनाथ मरडी (केपीपी) (युनाइटेड) को उक्त नोटिस दिनांक 27.01.2022 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट, मालदा ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 03 मार्च, 2022 में सूचित किया कि श्री बिस्वनाथ मरडी (केपीपी) (युनाइटेड) ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्री बिस्वनाथ मरडी (केपीपी) (युनाइटेड) ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री बिस्वनाथ मरडी (केपीपी) (युनाइटेड) अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि पश्चिम बंगाल राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2021 में 43-हबीबपुर (एस.टी.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री बिस्वनाथ मरडी (केपीपी) (युनाइटेड), ग्राम-पलाश, डाकघर - राहुतारा, थाना - हबीबपुर, जिला-मालदा, पिन-732138, पश्चिम बंगाल इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/डब्ल्यू बी-एल ए/43/2021/सीईएमएस.-IV]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 6th June, 2022

O.N. 109.—WHEREAS, the General Election for 43-Habibpur (ST) Assembly Constituency of West Bengal Legislative Assembly, 2021 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/16/2021, dated 26th February, 2021; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 43-Habibpur (ST) Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 2nd May, 2021 and hence, as per Commission Order dated 30.06.2021, the last date for lodging the account of Election Expenses was 31st July, 2021; and

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, Malda, West Bengal, **Shri Biswanath Mardi (KPP) (UNITED)**, a contesting candidate from 43-Habibpur (ST) Assembly Constituency, 2021 from West Bengal has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said reports of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/WB-LA/43/2021/CEMS-IV/122, dated 3rd January, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the

Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Biswanath Mardi (KPP) (UNITED)**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Shri Biswanath Mardi (KPP) (UNITED)**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer & District Collector, Malda, West Bengal within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Malda, West Bengal, has reported that the said notice was served to **Shri Biswanath Mardi (KPP) (UNITED)**, on 27.01.2022; and

WHEREAS, the **District Election Officer & District Magistrate, Malda** in his supplementary report, dated 3rd March, 2022 reported that **Shri Biswanath Mardi (KPP) (UNITED)**, has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Shri Biswanath Mardi (KPP) (UNITED)**, has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Shri Biswanath Mardi (KPP) (UNITED)**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Biswanath Mardi (KPP) (UNITED)**, Village – Palash, P.O. – Rahutara, P.S. – Habibpur, District – Malda, Pin-732138, West Bengal and a contesting candidate from 43-Habibpur (ST) Assembly Constituency of the State of West Bengal in the General Election to Legislative Assembly, 2021 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/WB-LA/43/2021/CEMS-IV]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 6 जून, 2022

आ.अ. 110.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2021 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/16/2021 के जरिए पश्चिम बंगाल के 48-रतुआ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2021 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रतिलिपि संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी है; और

यतः, 48-रतुआ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 02 मई, 2021 को घोषित किए गए थे और इसलिए, आयोग के आदेश दिनांक 30.06.2021 के अनुसार निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 31 जुलाई, 2021 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मालदा, पश्चिम बंगाल, द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, श्री अशोक चौधरी (निर्दलीय), जो पश्चिम बंगाल के 48-रतुआ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन, 2021 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री अशोक चौधरी (निर्दलीय), को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/डब्ल्यूबी-एलए/48/2021/सीईएमएस-IV/124 दिनांक 03 जनवरी, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री अशोक चौधरी (निर्दलीय), को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर, मालदा, पश्चिम बंगाल को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट, मालदा पश्चिम बंगाल ने बताया है कि श्री अशोक चौधरी (निर्दलीय) को उक्त नोटिस दिनांक 18.02.2022 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट, मालदा ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 03 मार्च, 2022 में सूचित किया कि श्री अशोक चौधरी (निर्दलीय) ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरान्त, श्री अशोक चौधरी (निर्दलीय) ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अशोक चौधरी (निर्दलीय) अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि पश्चिम बंगाल राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2021 में 48-रतुआ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री अशोक चौधरी (निर्दलीय), ग्राम- देबीपुर (बंगालिपारा), डाकघर- देबीपुर, थाना-रतुआ, जिला-मालदा, पिन-732205, पश्चिम बंगाल, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/डब्ल्यू बी-एल ए/48/2021/सीईएमएस-IV]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 6th June, 2022

O.N. 110.—WHEREAS, the General Election for 48-Ratua Assembly Constituency of West Bengal Legislative Assembly, 2021 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/16/2021, dated 26th February, 2021; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 48-Ratua Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 2nd May, 2021 and hence, **as per Commission Order dated 30.06.2021**, the last date for lodging the account of Election Expenses was 31st July, 2021; and

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, Malda, West Bengal, **Shri Ashok Chowdhury (Independent)**, a contesting candidate from 48-Ratua Assembly Constituency, 2021 from West Bengal has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said reports of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/WB-LA/48/2021/CEMS-IV/124, dated 3rd January, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Ashok Chowdhury (Independent)**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Shri Ashok Chowdhury (Independent)**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer & District Collector, Malda, District, West Bengal within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer & District Collector, Malda, District, West Bengal has reported that the said notice was served to **Shri Ashok Chowdhury (Independent)**, on 18.02.2022 ; and

WHEREAS, the District Magistrate & District Election Officer, Malda in his supplementary report, dated 3rd March, 2022 reported that **Shri Ashok Chowdhury (Independent)**, has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Shri Ashok Chowdhury (Independent)**, has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Shri Ashok Chowdhury (Independent)** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Ashok Chowdhury (Independent)**, Village-Debipur (Bangalipara), P.O. – Debipur, P.S. – Ratua, District- Malda, Pin-732205, West Bengal and a contesting candidate from 48-Ratua Assembly Constituency of the State of West Bengal in the General Election to Legislative Assembly, 2021 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/WB-LA/48/2021/CEMS-IV]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 6 जून, 2022

आ.अ. 111.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2021 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/16/2021 के जरिए पश्चिम बंगाल के 102-अमडांगा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2021 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रतिलिपि संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी है; और

यतः, 102-अमडांगा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 02 मई, 2021 को घोषित किए गए थे और इसलिए, आयोग के आदेश दिनांक 30.06.2021 के अनुसार निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 31 जुलाई, 2021 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल, द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, श्री माफिद मंडल (निर्दलीय), जो पश्चिम बंगाल के 102-अमडांगा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन, 2021 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री माफिद मंडल (निर्दलीय), को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/डब्ल्यूबी-एलए/102/2021/सीईएमएस-IV/4659 दिनांक 14 दिसंबर, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री माफिद मंडल (निर्दलीय), को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल ने बताया है कि श्री माफिद मंडल (निर्दलीय) को उक्त नोटिस दिनांक 08.03.2022 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर 24 परगना ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 05 अप्रैल, 2022 में सूचित किया कि श्री माफिद मंडल (निर्दलीय) ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्री माफिद मंडल (निर्दलीय) ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री माफिद मंडल (निर्दलीय) अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि पश्चिम बंगाल राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2021 में 102-अमडांगा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री माफिद मंडल (निर्दलीय), ग्राम- पुर्बपारा, डाकघर-साधनपुर, थाना-अमडांगा, जिला-उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल-743221, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/डब्ल्यू बी-एल ए/102/2021/सीईएमएस-IV]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 6th June, 2022

O.N. 111.—WHEREAS, the General Election for 102-Amdanga Assembly Constituency of West Bengal Legislative Assembly, 2021 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/16/2021, dated 26th February, 2021; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 102-Amdanga Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 2nd May, 2021 and hence, as per Commission Order dated 30.06.2021, the last date for lodging the account of Election Expenses was 31st July, 2021; and

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, North 24 Parganas, West Bengal, **Sh. Mafid Mondal (IND)**, a contesting candidate from 102-Amdanga Assembly Constituency, 2021 from West Bengal has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said reports of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/WB-LA/102/2021/CEMS-IV/4659, dated 14th December, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Mafid Mondal (IND)**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Mafid Mondal (IND)**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer & District Collector, North 24 Parganas District, West Bengal within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer & District Collector, North 24 Parganas District, West Bengal has reported that the said notice was served to **Sh. Mafid Mondal (IND)**, on 08.03.2022 ; and

WHEREAS, the District Magistrate & District Election Officer, North 24 Parganas in his supplementary report, dated 5th April, 2022 reported that **Sh. Mafid Mondal (IND)**, has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Mafid Mondal (IND)**, has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Mafid Mondal (IND)** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Mafid Mondal (IND)**, Village – Purbapara, P.O. – Sadhanpur, P.S. – Amdanga, District- North 24 Parganas, West Bengal and a contesting candidate from 102-Amdanga Assembly Constituency of the State of West Bengal in the General Election to Legislative Assembly, 2021 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/WB-LA/102/2021/CEMS-IV]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 6 जून, 2022

आ.अ. 112.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2021 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/16/2021 के जरिए पश्चिम बंगाल के 102-अमडांगा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2021 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रतिलिपि संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी है; और

यतः, 102-अमडांगा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा **02 मई, 2021** को घोषित किए गए थे और इसलिए, **आयोग के आदेश दिनांक 30.06.2021 के अनुसार** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख **31 जुलाई, 2021** थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल, द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, **श्री जयदेव मन्ना (बी.जे.पी.)**, जो पश्चिम बंगाल के 102-अमडांगा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन, 2021 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री जयदेव मन्ना (बी.जे.पी.)**, को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. **76/डब्ल्यूबी-एलए/102/2021/सीईएमएस-IV/4655** दिनांक 14 दिसंबर, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **श्री जयदेव मन्ना (बी.जे.पी.)**, को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल ने बताया है कि **श्री जयदेव मन्ना (बी.जे.पी.)** को उक्त नोटिस दिनांक **08.03.2022** को तामील किया गया था; और

यतः, जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर 24 परगना ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 05 अप्रैल, 2022 में सूचित किया कि **श्री जयदेव मन्ना (बी.जे.पी.)** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके

अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरान्त, श्री जयदेव मन्ना (बी.जे.पी.) ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री जयदेव मन्ना (बी.जे.पी.) अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि पश्चिम बंगाल राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2021 में 102-अमडांगा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री जयदेव मन्ना (बी.जे.पी.), ग्राम+डाकघर-कांचीरा, थाना-अमडांगा, जिला-उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल-743711, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/डब्ल्यू बी-एल ए/102/2021/सीईएमएस-IV]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 6th June, 2022

O.N. 112.—WHEREAS, the General Election for 102-Amdanga Assembly Constituency of West Bengal Legislative Assembly, 2021 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/16/2021, dated 26th February, 2021; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 102-Amdanga Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 2nd May, 2021 and hence, as per Commission Order dated 30.06.2021, the last date for lodging the account of Election Expenses was 31st July, 2021; and

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, North 24 Parganas, West Bengal, **Sh. Joydev Manna (BJP)**, a contesting candidate from 102-Amdanga Assembly Constituency, 2021 from West Bengal has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said reports of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/WB-LA/102/2021/CEMS-IV/4655, dated 14th December, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Joydev Manna (BJP)**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Joydev Manna (BJP)**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District

Election Officer & District Collector, North 24 Parganas District, West Bengal within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer & District Collector, North 24 Parganas District, West Bengal has reported that the said notice was served to **Sh. Joydev Manna (BJP)**, on **08.03.2022** ; and

WHEREAS, the District Magistrate & District Election Officer, North 24 Parganas in his supplementary report, dated 5th April, 2022 reported that **Sh. Joydev Manna (BJP)**, has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Joydev Manna (BJP)**, has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Joydev Manna (BJP)** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Joydev Manna (BJP)**, Vill.+ P.O. – Kanchiara, P.S. – Amdanga, District- North 24 Parganas, West Bengal and a contesting candidate from 102-Amdanga Assembly Constituency of the State of West Bengal in the General Election to Legislative Assembly, 2021 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/WB-LA/102/2021/CEMS-IV]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 6 जून, 2022

आ.अ. 113.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2021 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/16/2021 के जरिए पश्चिम बंगाल के 102-अमडांगा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2021 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रतिलिपि संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी है; और

यतः, 102-अमडांगा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा **02 मई, 2021** को घोषित किए गए थे और इसलिए, **आयोग के आदेश दिनांक 30.06.2021 के अनुसार** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख **31 जुलाई, 2021** थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल, द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, **श्री रंजीत संतरा (बोबो दा) (निर्दलीय)**, जो पश्चिम बंगाल के 102-अमडांगा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन, 2021 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री रंजीत संतरा (बोबो दा) (निर्दलीय), को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/डब्ल्यूबी-एलए/102/2021/सीईएमएस-IV/4661 दिनांक 14 दिसंबर, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री रंजीत संतरा (बोबो दा) (निर्दलीय), को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल ने बताया है कि श्री रंजीत संतरा (बोबो दा) (निर्दलीय) को उक्त नोटिस दिनांक 08.03.2022 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर 24 परगना ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 05 अप्रैल, 2022 में सूचित किया कि श्री रंजीत संतरा (बोबो दा) (निर्दलीय) ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरान्त, श्री रंजीत संतरा (बोबो दा) (निर्दलीय) ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री रंजीत संतरा (बोबो दा) (निर्दलीय) अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि पश्चिम बंगाल राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2021 में 102-अमडांगा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री रंजीत संतरा (बोबो दा) (निर्दलीय), ग्राम- अमडांगा, डाकघर- अरखली अमडांगा, थाना- अमडांगा, जिला-उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल-743221, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/डब्ल्यू बी-एल ए/102/2021/सीईएमएस-IV]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 6th June, 2022

O.N. 113.—WHEREAS, the General Election for 102-Amdanga Assembly Constituency of West Bengal Legislative Assembly, 2021 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/16/2021, dated 26th February, 2021; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 102-Amdanga Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 2nd May, 2021 and hence, as per Commission Order dated 30.06.2021, the last date for lodging the account of Election Expenses was 31st July, 2021; and

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, North 24 Parganas, West Bengal, **Sh. Ranjit Santra (Bobo Da) (IND)**, a contesting candidate from 102-Amdanga Assembly Constituency, 2021 from West Bengal has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said reports of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/WB-LA/102/2021/CEMS-IV/4661, dated 14th December, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Ranjit Santra (Bobo Da) (IND)**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Ranjit Santra (Bobo Da) (IND)**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer & District Collector, North 24 Parganas District, West Bengal within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer & District Collector, North 24 Parganas District, West Bengal has reported that the said notice was served to **Sh. Ranjit Santra (Bobo Da) (IND)**, on 08.03.2022 ; and

WHEREAS, the District Magistrate & District Election Officer, North 24 Parganas in his supplementary report, dated 5th April, 2022 reported that **Sh. Ranjit Santra (Bobo Da) (IND)**, has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Ranjit Santra (Bobo Da) (IND)**, has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and*
- (b) has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Ranjit Santra (Bobo Da) (IND)**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Ranjit Santra (Bobo Da) (IND)**, Village – Amdanga, P.O. – Arkhali Amdanga P.S. – Amdanga, District- North 24 Parganas, West Bengal and a contesting candidate from 102-Amdanga Assembly Constituency of the State of West Bengal in the General Election to Legislative Assembly, 2021 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/WB-LA/102/2021/CEMS-IV]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 6 जून, 2022

आ.अ. 114.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2021 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/16/2021 के जरिए पश्चिम बंगाल के 102-अमडांगा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2021 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रतिलिपि संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी है; और

यतः, 102-अमडांगा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 02 मई, 2021 को घोषित किए गए थे और इसलिए, आयोग के आदेश दिनांक 30.06.2021 के अनुसार निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 31 जुलाई, 2021 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल, द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, श्री जमाल उद्दीन (आर.एस.एम.पी.), जो पश्चिम बंगाल के 102-अमडांगा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन, 2021 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री जमाल उद्दीन (आर.एस.एम.पी.), को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/डब्ल्यूबी-एलए/102/2021/सीईएमएस-IV/4657 दिनांक 14 दिसंबर, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री जमाल उद्दीन (आर.एस.एम.पी.), को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल ने बताया है कि श्री जमाल उद्दीन (आर.एस.एम.पी.) को उक्त नोटिस दिनांक 08.03.2022 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर 24 परगना ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 05 अप्रैल, 2022 में सूचित किया कि श्री जमाल उद्दीन (आर.एस.एम.पी.) ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्री जमाल उद्दीन (आर.एस.एम.पी.) ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।";

यतः, तथ्यों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री जमाल उद्दीन (आर.एस.एम.पी.) अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि पश्चिम बंगाल राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2021 में 102-अमडांगा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री जमाल उद्दीन (आर.एस.एम.पी.), ग्राम-उराला, डाकघर-कांचीरा, थाना-अमडांगा, जिला-उत्तर 24 परगना, पिन-743711, पश्चिम बंगाल इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहिंत होंगे।

[फा. सं. 76/डब्ल्यू बी-एल ए/102/2021/सीईएमएस-IV]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 6th June, 2022

O.N. 114.—WHEREAS, the General Election for 102-Amdanga Assembly Constituency of West Bengal Legislative Assembly, 2021 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/16/2021, dated 26th February, 2021; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 102-Amdanga Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 2nd May, 2021 and hence, as per Commission Order dated 30.06.2021, the last date for lodging the account of Election Expenses was 31st July, 2021; and

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, North 24 Parganas, West Bengal, **Sh. Jamal Uddin (RSMP)**, a contesting candidate from 102-Amdanga Assembly Constituency, 2021 from West Bengal has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said reports of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/WB-LA/102/2021/CEMS-IV/4657, dated 14th December, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Jamal Uddin (RSMP)**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Jamal Uddin (RSMP)**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer & District Collector, North 24 Parganas District, West Bengal within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer & District Collector, North 24 Parganas District, West Bengal has reported that the said notice was served to **Sh. Jamal Uddin (RSMP)**, on 08.03.2022 ; and

WHEREAS, the District Magistrate & District Election Officer, North 24 Parganas in his supplementary report, dated 5th April, 2022 reported that **Sh. Jamal Uddin (RSMP)**, has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Jamal Uddin (RSMP)**, has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and*

(b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Jamal Uddin (RSMP)** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Jamal Uddin (RSMP)**, Village – Urala, P.O.–Kanchiara, P.S. – Amdanga, District- North 24 Parganas, Pin – 743711, West Bengal and a contesting candidate from 102-Amdanga Assembly Constituency of the State of West Bengal in the General Election to Legislative Assembly, 2021 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/WB-LA/102/2021/CEMS-IV]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 6 जून, 2022

आ.अ. 115.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2021 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/16/2021 के जरिए पश्चिम बंगाल के 107-नोआपारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2021 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रतिलिपि संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी है; और

यतः, 107-नोआपारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 02 मई, 2021 को घोषित किए गए थे और इसलिए, आयोग के आदेश दिनांक 30.06.2021 के अनुसार निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 31 जुलाई, 2021 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल, द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, श्री रविन्द्र नाथ बिस्वास (निर्दलीय), जो पश्चिम बंगाल के 107-नोआपारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन, 2021 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री रविन्द्र नाथ बिस्वास (निर्दलीय), को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/डब्ल्यूबी-एलए/107/2021/सीईएमएस-IV/3720 दिनांक 02 दिसंबर, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री रविन्द्र नाथ बिस्वास (निर्दलीय), को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल ने बताया है कि श्री रविन्द्र नाथ बिस्वास (निर्दलीय) को उक्त नोटिस दिनांक 15.03.2022 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर 24 परगना ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 05 अप्रैल, 2022 में सूचित किया कि श्री रविन्द्र नाथ बिस्वास (निर्दलीय) ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है।

इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्री रविन्द्र नाथ बिस्वास (निर्दलीय) ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री रविन्द्र नाथ बिस्वास (निर्दलीय) अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि पश्चिम बंगाल राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2021 में 107-नोआपारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री रविन्द्र नाथ बिस्वास (निर्दलीय), पलटा नेताजी पल्ली, डाकघर-बंगाल इनेमल, नोआपारा, बैरकपुर, जिला- उत्तर 24 परगना, पिन-743122, पश्चिम बंगाल, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/डब्ल्यू बी-एल ए/107/2021/सीईएमएस-IV]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 6th June, 2022

O.N. 115.—WHEREAS, the General Election for 107-Noapara Assembly Constituency of West Bengal Legislative Assembly, 2021 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/16/2021, dated 26th February, 2021; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 107-Noapara Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 2nd May, 2021 and hence, **as per Commission Order dated 30.06.2021**, the last date for lodging the account of Election Expenses was 31st July, 2021; and

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, West Bengal, **Shri Rabindra Nath Biswas (IND)**, a contesting candidate from 107-Noapara Assembly Constituency, 2021 from West Bengal has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said reports of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/WB-LA/107/2021/CEMS-IV/3720, dated 2nd December, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Rabindra Nath Biswas (IND)**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Shri Rabindra Nath Biswas (IND)**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the

District Election Officer & District Collector, North 24-Parganas District, West Bengal within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer & District Magistrate, North 24-Parganas District, West Bengal has reported that the said notice was served to **Shri Rabindra Nath Biswas (IND)**, on **15.03.2022** ; and

WHEREAS, the District Election Officer & District Magistrate, North 24-Parganas in his supplementary report, dated 5th April, 2022 reported that **Shri Rabindra Nath Biswas (IND)**, has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Shri Rabindra Nath Biswas (IND)**, has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Shri Rabindra Nath Biswas (IND)** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Rabindra Nath Biswas (IND)**, Netaji Pally, Palta, P.O.-Bengal Enamel, District – North 24 Parganas, Pin-743122, West Bengal and a contesting candidate from 48-Ratua Assembly Constituency of the State of West Bengal in the General Election to Legislative Assembly, 2021 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/WB-LA/107/2021/CEMS-IV]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 6 जून, 2022

आ.अ. 116.—यतः, निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2021 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/16/2021 के जरिए पश्चिम बंगाल के 115-राजरहाट न्यूटाउन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2021 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रतिलिपि संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी है; और

यतः, 115-राजरहाट न्यूटाउन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा **02 मई, 2021** को घोषित किए गए थे और इसलिए, **आयोग के आदेश दिनांक 30.06.2021 के अनुसार** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख **31 जुलाई, 2021** थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल, द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, **श्री सुबीर समददार (निर्दलीय)**, जो पश्चिम बंगाल के 115-राजरहाट न्यूटाउन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन, 2021 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री सुबीर समददार (निर्दलीय), को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/डब्ल्यूबी-एलए/115/2021/सीईएमएस-IV/3722 दिनांक 02 दिसंबर, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री सुबीर समददार (निर्दलीय), को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल ने बताया है कि श्री सुबीर समददार (निर्दलीय) को उक्त नोटिस दिनांक 19.02.2022 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर 24 परगना ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 05 अप्रैल, 2022 में सूचित किया कि श्री सुबीर समददार (निर्दलीय) ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्री सुबीर समददार (निर्दलीय) ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”

यतः, तथ्यों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सुबीर समददार (निर्दलीय) अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि पश्चिम बंगाल राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2021 में 115-राजरहाट न्यूटाउन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री सुबीर समददार (निर्दलीय), 4 पॉइंट, भटिंडा, राजरहाट, जिला-उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल-700135, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/डब्ल्यू बी-एल ए/115/2021/सीईएमएस-IV]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 6th June, 2022

O.N. 116.—WHEREAS, the General Election for 115-Rajarhat Newtown Assembly Constituency of West Bengal Legislative Assembly, 2021 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/16/2021, dated 26th February, 2021; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 115-Rajarhat Newtown Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 2nd May, 2021 and hence, **as per Commission Order dated 30.06.2021**, the last date for lodging the account of Election Expenses was 31st July, 2021; and

WHEREAS, as per the report dated 2nd June, 2021 submitted by the District Election Officer, North 24-Paraganas, West Bengal, **Sh. Subir Samaddar (IND)**, a contesting candidate from 115-Rajarhat Newtown Assembly Constituency, 2021 from West Bengal has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said reports of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/WB-LA/115/2021/CEMS-IV/3722, dated 2nd December, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Subir Samaddar (IND)**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Subir Samaddar (IND)**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer & District Collector, North 24-Paraganas, West Bengal within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, North 24-Paraganas, West Bengal, has reported that the said notice was served to **Sh. Subir Samaddar (IND)**, on 19.02.2022 ; and

WHEREAS, the District Election Officer & District Magistrate, North 24-Paraganas in his supplementary report, dated 5th April, 2022 reported that **Sh. Subir Samaddar (IND)**, has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Subir Samaddar (IND)**, has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Subir Samaddar (IND)**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Subir Samaddar (IND)**, 4 Point, Bhatenda, Rajarhat, District - North 24-Paraganas, West Bengal and a contesting candidate from 115-Rajarhat Newtown Assembly Constituency of the State of West Bengal in the General Election to Legislative Assembly, 2021 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/WB-LA/115/2021/CEMS-IV]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 6 जून, 2022

आ.अ. 117.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2021 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/16/2021 के जरिए पश्चिम बंगाल के 137-बरुईपुर पूर्वा (एससी) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2021 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रतिलिपि संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी है; और

यतः, 137-बरुईपुर पूर्वा (एससी) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 02 मई, 2021 को घोषित किए गए थे और इसलिए, आयोग के आदेश दिनांक 30.06.2021 के अनुसार निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 31 जुलाई, 2021 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल, द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 08, जून, के अनुसार, श्री चिन्मय नास्कर (निर्दलीय), जो पश्चिम बंगाल के 137-बरुईपुर पूर्वा (एससी) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन, 2021 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री चिन्मय नास्कर (निर्दलीय), को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/डब्ल्यूबी-एलए/137/2021/सीईएमएस-IV/3882 दिनांक 03 दिसंबर, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री चिन्मय नास्कर (निर्दलीय), को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल ने बताया है कि श्री चिन्मय नास्कर (निर्दलीय) को उक्त नोटिस दिनांक 07.01.2022 को तामील किया गया था; और

यतः, अपर जिला अधिकारी (एल.आर.) और अपर जिला अधिकारी (इ.इ.एम.), दक्षिण 24 परगना ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 31 जनवरी, 2022 में सूचित किया कि श्री चिन्मय नास्कर (निर्दलीय) ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्री चिन्मय नास्कर (निर्दलीय) ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”

यतः, तथ्यों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री चिन्मय नास्कर (निर्दलीय)** अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि पश्चिम बंगाल राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2021 में 137-बरुईपुर पूर्वा (एससी) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **श्री चिन्मय नास्कर (निर्दलीय)**, ग्राम-दक्षिण बेलागाची, डाकघर-बेलागाची, थाना- बरुईपुर, जिला-दक्षिण 24 परगना, पिन-743376, पश्चिम बंगाल, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/डब्ल्यू बी-एल ए/137/2021/सीईएमएस-IV]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 6th June, 2022

O.N. 117.—WHEREAS, the General Election for 137-Baruipur Purba (SC) Assembly Constituency of West Bengal Legislative Assembly, 2021 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/16/2021, dated 26th February, 2021; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 137-Baruipur Purba (SC) Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on **2nd May, 2021** and hence, **as per Commission Order dated 30.06.2021**, the last date for lodging the account of Election Expenses was **31st July, 2021**; and

WHEREAS, as per the report dated 8th June, 2021 submitted by the District Election Officer & District Magistrate, South 24-Paraganas, West Bengal, **Shri Chinmay Naskar (IND)**, a contesting candidate from 137-Baruipur Purba (SC) Assembly Constituency, 2021 from West Bengal has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said reports of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. **76/WB-LA/137/2021/CEMS-IV/3882**, dated 3rd December, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Chinmay Naskar (IND)**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Shri Chinmay Naskar (IND)**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer & District Collector, South 24-Paraganas, West Bengal within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, South 24-Paraganas, District, West Bengal, has reported that the said notice was served to **Shri Chinmay Naskar (IND)**, on **07.01.2022** ; and

WHEREAS, the **ADM (LR) & ADM (EEM)**, **South 24 Parganas** in his supplementary report, dated 31st January, 2022 reported that **Shri Chinmay Naskar (IND)**, has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Shri Chinmay Naskar (IND)**, has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or

under this Act; and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Shri Chinmay Naskar (IND)** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Chinmay Naskar (IND)**, Village – Daskhin Belegachi, P.O. – Belegachi, P.S. – Baruipur, District- South 24 Paraganas, Pin-743376, West Bengal and a contesting candidate from 137-Baruipur Purba (SC) Assembly Constituency of the State of West Bengal in the General Election to Legislative Assembly, 2021 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/WB-LA/137/2021/CEMS-IV]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 6 जून, 2022

आ.अ. 118.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2021 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/16/2021 के जरिए पश्चिम बंगाल के 144-फाल्टा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2021 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रतिलिपि संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी है; और

यतः, 144-फाल्टा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा **02 मई, 2021** को घोषित किए गए थे और इसलिए, **आयोग के आदेश दिनांक 30.06.2021 के अनुसार** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख **31 जुलाई, 2021** थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल, द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, **श्री संतोष सामंत (निर्दलीय)**, जो पश्चिम बंगाल के 144-फाल्टा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन, 2021 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री संतोष सामंत (निर्दलीय)**, को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. **76/डब्ल्यूबी-एलए/144/2021/सीईएमएस-IV/3892** दिनांक 03 दिसंबर, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **श्री संतोष सामंत (निर्दलीय)**, को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल ने बताया है कि **श्री संतोष सामंत (निर्दलीय)** को उक्त नोटिस दिनांक **18.01.2022** को तामील किया गया था; और

यतः, अपर जिला अधिकारी (एल.आर.) और अपर जिला अधिकारी (इ.इ.एम.), दक्षिण 24 परगना ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 23 मई, 2022 में सूचित किया कि श्री संतोष सामंत (निर्दलीय) ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्री संतोष सामंत (निर्दलीय) ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”

यतः, तथ्यों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री संतोष सामंत (निर्दलीय) अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि पश्चिम बंगाल राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2021 में 144-फाल्टा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री संतोष सामंत (निर्दलीय), ग्राम+डाकघर-जफरपुर, थाना- फाल्टा, जिला-दक्षिण 24 परगना, पिन-743513, पश्चिम बंगाल, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/डब्ल्यू बी-एल ए/144/2021/सीईएमएस-IV]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 6th June, 2022

O.N. 118.—WHEREAS, the General Election for 144-Falta Assembly Constituency of West Bengal Legislative Assembly, 2021 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/16/2021, dated 26th February, 2021; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 144-Falta Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 2nd May, 2021 and hence, **as per Commission Order dated 30.06.2021**, the last date for lodging the account of Election Expenses was 31st July, 2021; and

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer & District Magistrate, South 24 Parganas, District, West Bengal, **Shri Santosh Samanta (Independent)**, a contesting candidate from 144-Falta Assembly Constituency, 2021 from West Bengal has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said reports of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/WB-LA/144/2021/CEMS-IV/3892, dated 3rd December, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Santosh Samanta (Independent)**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Shri Santosh Samanta (Independent)**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer & District Collector, South 24 Parganas, District, West Bengal within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, South 24 Parganas, has reported that the said notice was served to **Shri Santosh Samanta (Independent)**, on 18.01.2022 ; and

WHEREAS, the ADM (LR) & ADM (EEM), South 24 Parganas in his supplementary report, dated 23rd May, 2022 reported that **Shri Santosh Samanta (Independent)**, has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Shri Santosh Samanta (Independent)**, has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Shri Santosh Samanta (Independent)** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Santosh Samanta (Independent)**, Village + P.O.-Jafarpur, P.S.-Falta, District-South 24 Parganas, Pin-743513, West Bengal and a contesting candidate from 144-Falta Assembly Constituency of the State of West Bengal in the General Election to Legislative Assembly, 2021, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/WB-LA/144/2021/CEMS-IV]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 6 जून, 2022

आ.अ. 119.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2021 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/16/2021 के जरिए पश्चिम बंगाल के 144-फाल्टा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2021 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रतिलिपि संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी है; और

यतः, 144-फाल्टा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 02 मई, 2021 को घोषित किए गए थे और इसलिए, आयोग के आदेश दिनांक 30.06.2021 के अनुसार निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 31 जुलाई, 2021 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल, द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, **श्री सोमनाथ मंडल (निर्दलीय)**, जो पश्चिम बंगाल के 144-फाल्टा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन, 2021 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री सोमनाथ मंडल (निर्दलीय)**, को अपने निर्वाचन व्यय

के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/डब्ल्यूबी-एलए/144/2021/सीईएमएस-IV/3890 दिनांक 03 दिसंबर, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री सोमनाथ मंडल (निर्दलीय), को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल ने बताया है कि श्री सोमनाथ मंडल (निर्दलीय) को उक्त नोटिस दिनांक 18.01.2022 को तामील किया गया था; और

यतः, अपर जिला अधिकारी (एल.आर.) और अपर जिला अधिकारी (इ.इ.एम.), दक्षिण 24 परगना ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 23 मई, 2022 में सूचित किया कि श्री सोमनाथ मंडल (निर्दलीय) ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्री सोमनाथ मंडल (निर्दलीय) ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।";

यतः, तथ्यों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सोमनाथ मंडल (निर्दलीय) अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि पश्चिम बंगाल राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2021 में 144-फाल्टा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री सोमनाथ मंडल (निर्दलीय), ग्राम-साहीपुर, डाकघर+थाना- फाल्टा, जिला-दक्षिण 24 परगना, पिन-743513, पश्चिम बंगाल, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/डब्ल्यू बी-एल ए/144/2021/सीईएमएस-IV]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 6th June, 2022

O.N. 119.—WHEREAS, the General Election for 144-Falta Assembly Constituency of West Bengal Legislative Assembly, 2021 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/16/2021, dated 26th February, 2021; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 144-Falta Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 2nd May, 2021 and hence, as per Commission Order dated 30.06.2021, the last date for lodging the account of Election Expenses was 31st July, 2021; and

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer & District Magistrate, South 24 Parganas, District, West Bengal, **Shri Somnath Mondal (Independent)**, a contesting candidate from 144-Falta Assembly Constituency, 2021 from West Bengal has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said reports of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/WB-LA/144/2021/CEMS-IV/3890, dated 3rd December, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Somnath Mondal (Independent)**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Shri Somnath Mondal (Independent)**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer & District Collector, South 24 Parganas, District, West Bengal within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, South 24 Parganas, has reported that the said notice was served to **Shri Somnath Mondal (Independent)**, on 18.01.2022 ; and

WHEREAS, the ADM (LR) & ADM (EEM), South 24 Parganas in his supplementary report, dated 23rd May, 2022 reported that **Shri Somnath Mondal (Independent)**, has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Shri Somnath Mondal (Independent)**, has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Shri Somnath Mondal (Independent)** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Somnath Mondal (Independent)**, Village – Sahipur, P.O.+ P.S. – Falta, District – South 24 Parganas, Pin-743513, West Bengal and a contesting candidate from 144-Falta Assembly Constituency of the State of West Bengal in the General Election to Legislative Assembly, 2021, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/WB-LA/144/2021/CEMS-IV]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 6 जून, 2022

आ.अ. 120.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2021 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/16/2021 के जरिए पश्चिम बंगाल के 166-श्यामपुकर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2021 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रतिलिपि संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी है; और

यतः, 166-श्यामपुकर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 02 मई, 2021 को घोषित किए गए थे और इसलिए, आयोग के आदेश दिनांक 30.06.2021 के अनुसार निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 31 जुलाई, 2021 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तरी कोलकाता, पश्चिम बंगाल, द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 10 जून, 2021 के अनुसार, श्री चिन्मय बिस्वास (निर्दलीय), जो पश्चिम बंगाल के 166-श्यामपुकुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन, 2021 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री चिन्मय बिस्वास (निर्दलीय), को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/डब्ल्यूबी-एलए/166/2021/सीईएमएस-IV/4195 दिनांक 07 दिसंबर, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री चिन्मय बिस्वास (निर्दलीय), को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उत्तरी कोलकाता, पश्चिम बंगाल को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरी कोलकाता, पश्चिम बंगाल ने बताया है कि श्री चिन्मय बिस्वास (निर्दलीय) को उक्त नोटिस दिनांक 28.12.2021 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तरी कोलकाता ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 15 फरवरी, 2022 में सूचित किया कि श्री चिन्मय बिस्वास (निर्दलीय) ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्री चिन्मय बिस्वास (निर्दलीय) ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री चिन्मय बिस्वास (निर्दलीय) अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि पश्चिम बंगाल राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2021 में 166-श्यामपुकुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री चिन्मय बिस्वास (निर्दलीय), 1, बागबाजार स्ट्रीट, कोलकाता-700003, पश्चिम बंगाल, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/डब्ल्यू बी-एल ए/166/2021/सीईएमएस-IV]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 6th June, 2022

O.N. 120.—WHEREAS, WHEREAS, the General Election for 166-Shyampukur Assembly Constituency of West Bengal Legislative Assembly, 2021 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/16/2021, dated 26th February, 2021; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 166-Shyampukur Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 2nd May, 2021 and hence, **as per Commission Order dated 30.06.2021**, the last date for lodging the account of Election Expenses was 31st July, 2021; and

WHEREAS, as per the report dated 10th June, 2021 submitted by the District Election Officer, West Bengal, **Sh. Chinmoy Biswas (Independent)**, a contesting candidate from 166-Shyampukur Assembly Constituency, 2021 from West Bengal has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said reports of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/WB-LA/166/2021/CEMS-IV/4195, dated 7th December, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Chinmoy Biswas (Independent)**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Chinmoy Biswas (Independent)**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer & District Collector, Kolkata North, West Bengal within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer & District Magistrate, Kolkata North, West Bengal has reported that the said notice was served to **Sh. Chinmoy Biswas (Independent)**, on 28.12.2021 ; and

WHEREAS, the District Election Officer, Kolkata North in his supplementary report, dated 15th February, 2022 reported that **Sh. Chinmoy Biswas (Independent)**, has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Chinmoy Biswas (Independent)**, has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Chinmoy Biswas (Independent)** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Chinmoy Biswas (Independent)**, 1, Bagbazar Street, Kolkata-700003, West Bengal and a contesting candidate from 166-Shyampukur, Assembly Constituency of the State of West Bengal in the General Election to Legislative Assembly, 2021 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/WB-LA/166/2021/CEMS-IV]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 6 जून, 2022

आ.अ. 121.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2021 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/16/2021 के जरिए पश्चिम बंगाल के 166-श्यामपुकुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2021 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रतिलिपि संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी है; और

यतः, 166-श्यामपुकुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 02 मई, 2021 को घोषित किए गए थे और इसलिए, आयोग के आदेश दिनांक 30.06.2021 के अनुसार निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 31 जुलाई, 2021 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तरी कोलकाता, पश्चिम बंगाल, द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 10 जून, 2021 के अनुसार, श्री सुरजीत घोष (निर्दलीय), जो पश्चिम बंगाल के 166-श्यामपुकुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन, 2021 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री सुरजीत घोष (निर्दलीय), को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/डब्ल्यूबी-एलए/166/2021/सीईएमएस-IV/4193 दिनांक 07 दिसंबर, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री सुरजीत घोष (निर्दलीय), को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उत्तरी कोलकाता, पश्चिम बंगाल को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरी कोलकाता, पश्चिम बंगाल ने बताया है कि श्री सुरजीत घोष (निर्दलीय) को उक्त नोटिस दिनांक 29.12.2021 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तरी कोलकाता ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 15 फरवरी, 2022 में सूचित किया कि श्री सुरजीत घोष (निर्दलीय) ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्री सुरजीत घोष (निर्दलीय) ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।";

यतः, तथ्यों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सुरजीत घोष (निर्दलीय) अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि पश्चिम बंगाल राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2021 में 166-श्यामपुकुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री सुरजीत घोष (निर्दलीय), 20, अहिरीटोला स्ट्रीट, बेडोन स्ट्रीट, कोलकाता-700006, पश्चिम बंगाल, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहिंत होंगे।

[फा. सं. 76/डब्ल्यू बी-एल ए/166/2021/सीईएमएस-IV]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 6th June, 2022

O.N. 121.—WHEREAS, the General Election for 166-Shyampukur Assembly Constituency of West Bengal Legislative Assembly, 2021 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/16/2021, dated 26th February, 2021; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 166-Shyampukur Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 2nd May, 2021 and hence, as per Commission Order dated 30.06.2021, the last date for lodging the account of Election Expenses was 31st July, 2021; and

WHEREAS, as per the report dated 10th June, 2021 submitted by the District Election Officer, West Bengal, **Sh. Surajit Ghosh (Independent)**, a contesting candidate from 166-Shyampukur Assembly Constituency, 2021 from West Bengal has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said reports of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/WB-LA/166/2021/CEMS-IV/4193, dated 7th December, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Surajit Ghosh (Independent)**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Surajit Ghosh (Independent)**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer & District Collector, Kolkata North, West Bengal within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer & District Magistrate, Kolkata North, West Bengal has reported that the said notice was served to **Sh. Surajit Ghosh (Independent)**, on 29.12.2021 ; and

WHEREAS, the District Election Officer, Kolkata North in his supplementary report, dated 15th February, 2022 reported that **Sh. Surajit Ghosh (Independent)**, has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Surajit Ghosh (Independent)**, has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Surajit Ghosh (Independent)** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Surajit Ghosh (Independent)**, 20, Ahiritola Street, Beadon Street, Kolkata-700006, West Bengal and a contesting candidate from 166-Shyampur, Assembly Constituency of the State of West Bengal in the General Election to Legislative Assembly, 2021 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/WB-LA/166/2021/CEMS-IV]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 6 जून, 2022

आ.अ. 122.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2021 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/16/2021 के जरिए पश्चिम बंगाल के 167-मानिकतला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2021 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रतिलिपि संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी है; और

यतः, 167-मानिकतला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा **02 मई, 2021** को घोषित किए गए थे और इसलिए, **आयोग के आदेश दिनांक 30.06.2021 के अनुसार** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख **31 जुलाई, 2021** थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तरी कोलकाता, पश्चिम बंगाल, द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, **श्री सुबीर दास (बी.एम.पी.)**, जो पश्चिम बंगाल के 167-मानिकतला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन, 2021 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री सुबीर दास (बी.एम.पी.)**, को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. **76/डब्ल्यूबी-एलए/167/2021/सीईएमएस-IV/4191** दिनांक 07 दिसंबर, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **श्री सुबीर दास (बी.एम.पी.)**, को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उत्तरी कोलकाता, पश्चिम बंगाल को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरी कोलकाता, पश्चिम बंगाल ने बताया है कि **श्री सुबीर दास (बी.एम.पी.)** को उक्त नोटिस दिनांक **28.12.2021** को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तरी कोलकाता ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 15 फरवरी, 2022 में सूचित किया कि **श्री सुबीर दास (बी.एम.पी.)** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने

के उपरांत, श्री सुबीर दास (बी.एम.पी.) ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”

यतः, तथ्यों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सुबीर दास (बी.एम.पी.) अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि पश्चिम बंगाल राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2021 में 167-मानिकतला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री सुबीर दास (बी.एम.पी.), 8/4, कन्कुर्गाची मार्ग, कोलकाता- 700054, पश्चिम बंगाल, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/डब्ल्यू बी-एल ए/167/2021/सीईएमएस-IV]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 6th June, 2022

O.N. 122.—WHEREAS, the General Election for 167-Maniktala Assembly Constituency of West Bengal Legislative Assembly, 2021 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/16/2021, dated 26th February, 2021; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 167-Maniktala Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 2nd May, 2021 and hence, as per Commission Order dated 30.06.2021, the last date for lodging the account of Election Expenses was 31st July, 2021; and

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, West Bengal, **Shri Subir Das (BMP)**, a contesting candidate from 167-Maniktala Assembly Constituency, 2021 from West Bengal has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said reports of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/WB-LA/167/2021/CEMS-IV/4191, dated 7th December, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Subir Das (BMP)**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Shri Subir Das (BMP)**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer & District Collector, Kolkata North, West Bengal within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer & District Magistrate, Kolkata North, West Bengal has reported that the said notice was served to **Shri Subir Das (BMP)**, on **28.12.2021** ; and

WHEREAS, the District Election Officer, Kolkata North in his supplementary report, dated 15th February, 2022 reported that **Shri Subir Das (BMP)**, has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Shri Subir Das (BMP)**, has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and*

(b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Shri Subir Das (BMP)** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Subir Das (BMP)**, 8/4, Kankurgachi Road, Kolkata-700054, West Bengal and a contesting candidate from 167-Maniktala, Assembly Constituency of the State of West Bengal in the General Election to Legislative Assembly, 2021 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/WB-LA/167/2021/CEMS-IV]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 6 जून, 2022

आ.अ. 123.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2021 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/16/2021 के जरिए पश्चिम बंगाल के 202-खानाकुल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2021 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रतिलिपि संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी है; और

यतः, 202-खानाकुल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा **02 मई, 2021** को घोषित किए गए थे और इसलिए, **आयोग के आदेश दिनांक 30.06.2021 के अनुसार** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख **31 जुलाई, 2021** थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हुगली, पश्चिम बंगाल, द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, **श्री आदित्य मानिक (निर्दलीय)**, जो पश्चिम बंगाल के 202-खानाकुल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन, 2021 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री आदित्य मानिक (निर्दलीय)**, को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. **76/डब्ल्यूबी-एलए/202/2021/सीईएमएस-IV/4189** दिनांक 07 दिसंबर, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री आदित्य मानिक (निर्दलीय), को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर, हुगली, पश्चिम बंगाल को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट, हुगली, पश्चिम बंगाल ने बताया है कि श्री आदित्य मानिक (निर्दलीय) को उक्त नोटिस दिनांक 29.01.2022 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट, हुगली ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 17 फरवरी, 2022 में सूचित किया कि श्री आदित्य मानिक (निर्दलीय) ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्री आदित्य मानिक (निर्दलीय) ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री आदित्य मानिक (निर्दलीय) अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि पश्चिम बंगाल राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2021 में 202-खानाकुल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री आदित्य मानिक (निर्दलीय), ग्राम+डाकघर-नन्दनपुर, थाना-खानाकुल, जिला-हुगली, पिन-712417, पश्चिम बंगाल, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/डब्ल्यू बी-एल ए/202/2021/सीईएमएस-IV]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 6th June, 2022

O.N. 123.—WHEREAS, the General Election for 202-Khanakul Assembly Constituency of West Bengal Legislative Assembly, 2021 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/16/2021, dated 26th February, 2021; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 202-Khanakul Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on **2nd May, 2021** and hence, **as per Commission Order dated 30.06.2021**, the last date for lodging the account of Election Expenses was **31st July, 2021**; and

WHEREAS, as per the report dated 4th June, 2021 submitted by the District Election Officer, West Bengal, **Shri Aditya Manik (IND)**, a contesting candidate from 202-Khanakul Assembly Constituency, 2021 from West Bengal has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said reports of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. **76/WB-LA/202/2021/CEMS-IV/4189**, dated 7th December, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Aditya Manik (IND)**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Shri Aditya Manik (IND)**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer & District Collector, Hooghly District, West Bengal within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer & District Magistrate, Hooghly District, West Bengal has reported that the said notice was served to **Shri Aditya Manik (IND)**, on **29.01.2022** ; and

WHEREAS, the District Election Officer & District Magistrate, Hooghly in his supplementary report, dated 17th February, 2022 reported that **Shri Aditya Manik (IND)**, has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Shri Aditya Manik (IND)**, has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Shri Aditya Manik (IND)** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Aditya Manik (IND)**, Village+P.O.—Nandanpur, P.S. – Khanakul, District- Hooghly, Pin-712417, West Bengal and a contesting candidate from 202-Khanakul, Assembly Constituency of the State of West Bengal in the General Election to Legislative Assembly, 2021 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/WB-LA/202/2021/CEMS-IV]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 6 जून, 2022

आ.अ. 124.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2021 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/16/2021 के जरिए पश्चिम बंगाल के 227-पिंगला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2021 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रतिलिपि संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी है; और

यतः, 227-पिंगला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 02 मई, 2021 को घोषित किए गए थे और इसलिए, आयोग के आदेश दिनांक 30.06.2021 के अनुसार निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 31 जुलाई, 2021 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 10 जून, 2021 के अनुसार, श्री समीर रॉय (कांग्रेस), जो पश्चिम बंगाल के 227-पिंगला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन, 2021 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री समीर रॉय (कांग्रेस), को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/डब्ल्यूबी-एलए/144/2021/सीईएमएस-IV/4171 दिनांक 07 दिसंबर, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री समीर रॉय (कांग्रेस), को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल ने बताया है कि श्री समीर रॉय (कांग्रेस) को उक्त नोटिस दिनांक 22.12.2021 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर, पश्चिम मेदिनीपुर ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 02 फरवरी, 2022 में सूचित किया कि श्री समीर रॉय (कांग्रेस) ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्री समीर रॉय (कांग्रेस) ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री समीर रॉय (कांग्रेस) अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि पश्चिम बंगाल राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2021 में 227-पिंगला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री समीर रॉय (कांग्रेस), ग्राम – मानिकपुर, डाकघर – मिदनापुर, जिला - पश्चिम मेदिनीपुर, पिन-721101, पश्चिम बंगाल, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन

अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित होंगे।

[फा. सं. 76/डब्ल्यू बी-एल ए/227/2021/सीईएमएस-IV]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 6th June, 2022

O.N. 124.—WHEREAS, the General Election for 227-Pingla Assembly Constituency of West Bengal Legislative Assembly, 2021 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/16/2021, dated 26th February, 2021; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 227-Pingla Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 2nd May, 2021 and hence, **as per Commission Order dated 30.06.2021**, the last date for lodging the account of Election Expenses was 31st July, 2021; and

WHEREAS, as per the report dated 10th June, 2021 submitted by the Chief Electoral Officer, West Bengal, **Shri Samir Roy (INC)**, a contesting candidate from 227-Pingla Assembly Constituency, 2021 from West Bengal has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said reports of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/WB-LA/227/2021/CEMS-IV/4171, dated 7th December, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Shri Samir Roy (INC)**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Shri Samir Roy (INC)**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer & District Collector, Paschim Medinipur, District, West Bengal within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer & District Collector, Paschim Medinipur, District, West Bengal has reported that the said notice was served to **Shri Samir Roy (INC)**, on 22.12.2021 ; and

WHEREAS, the District Election Officer & District Collector, Paschim Medinipur in his supplementary report, dated 2nd February, 2022 reported that **Shri Samir Roy (INC)**, has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Shri Samir Roy (INC)**, has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) *has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and*

(b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Shri Samir Roy (INC)** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Samir Roy (INC)**, Village – Manikpur, P.O. – Midnapore,

District- Paschim Medinipur, Pin-721101, West Bengal and a contesting candidate from 227-Pingla Assembly Constituency of the State of West Bengal in the General Election to Legislative Assembly, 2021 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/WB-LA/227/2021/CEMS-IV]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 6 जून, 2022

आ.अ. 125.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2021 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/16/2021 के जरिए पश्चिम बंगाल के 293-नलहाटी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2021 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रतिलिपि संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी है; और

यतः, 293-नलहाटी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 02 मई, 2021 को घोषित किए गए थे और इसलिए, आयोग के आदेश दिनांक 30.06.2021 के अनुसार निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 31 जुलाई, 2021 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बीरभूम, पश्चिम बंगाल, द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, श्री मौ. मोनिबुर रहमान (जे.डी.पी.), जो पश्चिम बंगाल के 293-नलहाटी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन, 2021 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री मौ. मोनिबुर रहमान (जे.डी.पी.), को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/डब्ल्यूबी-एलए/293/2021/सीईएमएस-IV/4177 दिनांक 07 दिसंबर, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री मौ. मोनिबुर रहमान (जे.डी.पी.), को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर, बीरभूम, पश्चिम बंगाल को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट, बीरभूम, पश्चिम बंगाल ने बताया है कि श्री मौ. मोनिबुर रहमान (जे.डी.पी.) को उक्त नोटिस दिनांक 16.02.2022 को तामील किया गया था; और

यतः, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बीरभूम ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 08 अप्रैल, 2022 में सूचित किया कि श्री मौ. मोनिबुर रहमान (जे.डी.पी.) ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्री मौ. मोनिबुर रहमान (जे.डी.पी.) ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।";

यतः, तथ्यों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री मौ. मोनिबुर रहमान (जे.डी.पी.) अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि पश्चिम बंगाल राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2021 में 293-नलहाटी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री मौ. मोनिबुर रहमान (जे.डी.पी.), ग्राम-करमजी, डाकघर-गोसैनपुर, थाना-पैकर, जिला-बीरभूम, पिन-731220, पश्चिम बंगाल, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/डब्ल्यू बी-एल ए/293/2021/सीईएमएस-IV]

आदेश से,

कुमार राजीव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 6th June, 2022

O.N. 125.—WHEREAS, the General Election for 293-Nalhati Assembly Constituency of West Bengal Legislative Assembly, 2021 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/16/2021, dated 26th February, 2021; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 293-Nalhati Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 2nd May, 2021 and hence, as per Commission Order dated 30.06.2021, the last date for lodging the account of Election Expenses was 31st July, 2021; and

WHEREAS, as per the report dated 31st May, 2021 submitted by the District Election Officer, West Bengal, **Md. Monibur Rahaman (Justice and Development Party)**, a contesting candidate from 293-Nalhati Assembly Constituency, 2021 from West Bengal has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said reports of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/WB-LA/202/2021/CEMS-IV/4177, dated 7th December, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Md. Monibur Rahaman (Justice and Development Party)**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Md. Monibur Rahaman (Justice and Development Party)**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer & District Collector, Birbhum, West Bengal within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer & District Magistrate, Birbhum, West Bengal has reported that the said notice was served to **Md. Monibur Rahaman (Justice and Development Party)**, on 16.02.2022; and

WHEREAS, the Additional Chief Electoral Officer, West Bengal in his supplementary report, dated 8th April, 2022 reported that **Md. Monibur Rahaman (Justice and Development Party)**, has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Md. Monibur Rahaman (Justice and Development Party)**, has

neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Md. Monibur Rahaman (Justice and Development Party)** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Md. Monibur Rahaman (Justice and Development Party)**, Village – Karamjee, P.O. – Gosainpur, P.S. – Paikar, District- Birbhum, Pin-731220, West Bengal and a contesting candidate from 293-Nalhati, Assembly Constituency of the State of West Bengal in the General Election to Legislative Assembly, 2021 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/WB-LA/293/2021/CEMS-IV]

By Order,

KUMAR RAJEEV, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 जून, 2022

आ.अ. 126.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 05 मार्च, 2021 की अधिसूचना सं. 464/एएस-एलए/2021 के अनुसरण में **65-कलाईगांव** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए असम विधान सभा हेतु साधारण निर्वाचन, 2021 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करवाएगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, असम के **65-कलाईगांव** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2021 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 02 मई, 2021 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 01, जून, 2021 थी; और

यतः, आयोग ने कोविड-19 की तत्कालीन व्याप्त वैश्विक महामारी की स्थिति को देखते हुए, अभ्यर्थी द्वारा 31 जुलाई, 2021 तक विलंब से लेखा प्रस्तुत करने की किसी भी घटना को माफ करने का निर्णय लिया; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम के पत्र सं. ईएलई.283/2021/58, दिनांक 15.09.2021 के तहत उनसे प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, मंगलदोई की दिनांक 24.08.2021 की रिपोर्ट के अनुसार, **श्री गम्बर मोछाहारी**, जो असम के **65-कलाईगांव** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2021 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, निर्वाचनों के संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के तहत, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री गम्बर**

मोछाहारी को कारण बताओ नोटिस सं. 76/एएस-एलए/65/2021/सीईएमएस-1, दिनांक 14 अक्तूबर, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **श्री गम्बर मोछाहारी** को लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **मंगलदोई** जिला को लेखा प्रस्तुत करने हेतु निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मंगलदोई** जिला ने बताया है कि **श्री गम्बर मोछाहारी** को उक्त नोटिस दिनांक **17.12.2021** को तामील किया गया था; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम ने पत्र सं. ईएलई. 323/2021/256, दिनांक 04.04.2022 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी, **मंगलदोई** की अनुपूरक रिपोर्ट यह स्पष्ट करते हुए अग्रेषित की कि **श्री गम्बर मोछाहारी** ने कोई अभ्यावेदन या मूल वाँउचरों के साथ विधिवत हस्ताक्षरित निर्वाचन व्ययों के सही लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस के प्राप्त होने के बाद **श्री गम्बर मोछाहारी** ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखा दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) *निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा*

(ख) *उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,*

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री गम्बर मोछाहारी**, विधि के अंतर्गत यथा विहित निर्धारित अवधि के भीतर निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि असम के **65-कलाईगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2021** से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **श्री गम्बर मोछाहारी**, ग्राम- जालुकबारी, डाकघर: खोइराबारी, जिला:- उदलगुरी, बीटीआर (असम) पिन-784522 इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/एएस-एलए/2021/सीईएमएस-1]

आदेश से,

सुजीत कुमार मिश्र, सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th June, 2022

O.N. 126.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Assam, 2021 for **65-Kalaigaon** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/AS-LA/2021, dated 5th March, 2021; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election

Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **65-Kalaigaon** Assembly Constituency of Assam, 2021 was declared by the Returning Officer on 02nd May, 2021 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 01st June, 2021; and

WHEREAS, the Commission having regard to the then prevailing pandemic situation of Covid-19, decided to condone any incidence of late submission of account by candidate till 31st July, 2021; and

WHEREAS, as per the report dated 24.08.2021 of the **DEO, Mangaldoi**, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, received from the CEO, Assam vide his letter no. ELE..283/2021/58, dated 15.09.2021, **Sh. Gwmbwr Mochahary**, a contesting candidate from **65-Kalaigaon** Assembly Constituency of Assam, 2021 has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/AS-LA/65/2021/CEMS-I, dated 14th October, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India **Sh. Gwmbwr Mochahary**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Gwmbwr Mochahary**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Mangaldoi** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Mangaldoi** District, has reported that the said notice was served to **Sh. Gwmbwr Mochahary**, on 17.12.2021; and

WHEREAS, the CEO, Assam vide letter no ELE.323/2021/256, dated 04.04.2022 forwarded the District Election Officer, **Mangaldoi**, Supplementary Report stated that **Sh. Gwmbwr Mochahary**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Gwmbwr Mochahary**, has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Gwmbwr Mochahary**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Gwmbwr Mochahary, Vill-Jaluk Bari, P.O:-Khoirabari, Dist:- Udalguri, BTR(Assam), Pin-784522** and a contesting candidate in **65-Kalaigaon Assembly Constituency of Assam, 2021**, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/AS-LA/2021/CEMS-I]

By Order,

SUJEET KUMAR MISHRA , Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 जून, 2022

आ.अ. 127.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 05 मार्च, 2021 की अधिसूचना सं. 464/एएस-एलए/2021 के अनुसरण में **65-कलाईगांव** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए असम विधान सभा हेतु साधारण निर्वाचन, 2021 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करवाएगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, असम के **65-कलाईगांव** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2021 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 02 मई, 2021 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 01, जून, 2021 थी; और

यतः, आयोग ने कोविड-19 की तत्कालीन व्याप्त वैश्विक महामारी की स्थिति को देखते हुए, अभ्यर्थी द्वारा 31 जुलाई, 2021 तक विलंब से लेखा प्रस्तुत करने की किसी भी घटना को माफ करने का निर्णय लिया; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम के पत्र सं. ईएलई.283/2021/58, दिनांक 15.09.2021 के तहत उनसे प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, मंगलदोई की दिनांक 24.08.2021 की रिपोर्ट के अनुसार, श्री कानू राम सैकिया, जो असम के **65-कलाईगांव** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2021 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, निर्वाचनों के संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के तहत, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री कानू राम सैकिया को कारण बताओ नोटिस सं. 76/एएस-एलए/65/2021/सीईएमएस-1, दिनांक 14 अक्तूबर, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री कानू राम सैकिया को लेखे दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, मंगलदोई जिला को लेखा प्रस्तुत करने हेतु निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मंगलदोई जिला ने बताया है कि श्री कानू राम सैकिया को उक्त नोटिस दिनांक 18.03.2021 को तामील किया गया था; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम ने पत्र सं. ईएलई. 323/2021/256, दिनांक 04.04.2022 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी, मंगलदोई की अनुपूरक रिपोर्ट यह स्पष्ट करते हुए अग्रेषित की कि श्री कानू राम सैकिया ने कोई अभ्यावेदन या मूल वाँउचरों के साथ विधिवत हस्ताक्षरित निर्वाचन व्ययों के सही लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस के प्राप्त होने के बाद श्री कानू राम सैकिया ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखा दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री कानू राम सैकिया, विधि के अंतर्गत यथा विहित निर्धारित अवधि के भीतर निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि असम के 65-कलाईगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2021 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री कानू राम सैकिया, ग्राम- गरगारी, डाकघर: बुरहीनगर, थाना: कलाईगांव जिला- दारंग (असम) इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/एस-एलए/2021/सीईएमएस-1]

आदेश से,

सुजीत कुमार मिश्र, सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th June, 2022

O.N. 127.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Assam, 2021 for **65-Kalaigaon** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/AS-LA/2021, dated 5th March, 2021; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **65-Kalaigaon** Assembly Constituency of Assam, 2021 was declared by the Returning Officer on 02nd May, 2021 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 01st June, 2021; and

WHEREAS, the Commission having regard to the then prevailing pandemic situation of Covid-19, decided to condone any incidence of late submission of account by candidate till 31st July, 2021; and

WHEREAS, as per the report dated 24.08.2021 of the **DEO, Mangaldoi**, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, received from the CEO, Assam vide his letter no. ELE..283/2021/58, dated 15.09.2021, **Sh. Kanu Ram Saikia**, a contesting candidate from **65-Kalaigaon** Assembly Constituency of Assam, 2021 has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/AS-LA/65/2021/CEMS-I, dated 14th October, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India **Sh. Kanu Ram Saikia**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Kanu Ram Saikia**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Mangaldoi** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Mangaldoi** District, has reported that the said notice was served to **Sh. Kanu Ram Saikia**, on 18.12.2021; and

WHEREAS, the CEO, Assam vide letter no ELE.323/2021/256, dated 04.04.2022 forwarded the District Election Officer, **Mangaldoi**, Supplementary Report stated that **Sh. Kanu Ram Saikia**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses duly signed along with original vouchers etc.

Further, after receipt of the said notice, **Sh. Kanu Ram Saikia**, has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Kanu Ram Saikia**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Kanu Ram Saikia, Vill-Gargari, P.O:-Burhinagar, PS:-Kalaigaon, Dist:-Darrang(Assam)** and a contesting candidate in **65-Kalaigaon Assembly Constituency of Assam, 2021**, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/AS-LA/2021/CEMS-I]

By Order,

SUJEET KUMAR MISHRA , Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 जून, 2022

आ.अ. 128.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 05 मार्च, 2021 की अधिसूचना सं. 464/एएस-एलए/2021 के अनुसरण में **65-कलाईगांव** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए असम विधान सभा हेतु साधारण निर्वाचन, 2021 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करवाएगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, असम के **65-कलाईगांव** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2021 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 02 मई, 2021 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 01, जून, 2021 थी; और

यतः, आयोग ने कोविड-19 की तत्कालीन व्याप्त वैश्विक महामारी की स्थिति को देखते हुए, अभ्यर्थी द्वारा 31 जुलाई, 2021 तक विलंब से लेखा प्रस्तुत करने की किसी भी घटना को माफ करने का निर्णय लिया; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम के पत्र सं. ईएलई.283/2021/58, दिनांक 15.09.2021 के तहत उनसे प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, मंगलदाई की दिनांक 24.08.2021 की रिपोर्ट के अनुसार, **श्री जादव सैकिया**, जो असम के **65-कलाईगांव** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2021 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, निर्वाचनों के संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के तहत, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री जादव सैकिया**

को कारण बताओ नोटिस सं. 76/एस-एलए/65/2021/सीईएमएस-1, दिनांक 14 अक्तूबर, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री जादव सैकिया को लेखे दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, मंगलदोई जिला को लेखा प्रस्तुत करने हेतु निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मंगलदोई जिला ने बताया है कि श्री जादव सैकिया को उक्त नोटिस दिनांक 16.12.2021 को तामील किया गया था; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम ने पत्र सं. ईएलई. 323/2021/256, दिनांक 04.04.2022 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी, मंगलदोई की अनुपूरक रिपोर्ट यह स्पष्ट करते हुए अग्रेषित की कि श्री जादव सैकिया ने कोई अभ्यावेदन या मूल वॉउचरों के साथ विधिवत हस्ताक्षरित निर्वाचन व्ययों के सही लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस के प्राप्त होने के बाद श्री जादव सैकिया ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखा दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री जादव सैकिया, विधि के अंतर्गत यथा विहित निर्धारित अवधि के भीतर निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि असम के 65-कलाईगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री जादव सैकिया, ग्राम- उपाहुपारा (मिलनपुर), डाकघर: मंगलदोई, थाना: मंगलदोई जिला- दारंग (असम) पिन-784125 इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/एस-एलए/2021/सीईएमएस-1]

आदेश से,

सुजीत कुमार मिश्र, सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th June, 2022

O.N. 128.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Assam, 2021 for 65-Kalaigaon Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/AS-LA/2021, dated 5th March, 2021; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election

Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **65-Kalaigaon** Assembly Constituency of Assam, 2021 was declared by the Returning Officer on 02nd May, 2021 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 01st June, 2021; and

WHEREAS, the Commission having regard to the then prevailing pandemic situation of Covid-19, decided to condone any incidence of late submission of account by candidate till 31st July, 2021; and

WHEREAS, as per the report dated 24.08.2021 of the **DEO, Mangaldoi**, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, received from the CEO, Assam vide his letter no. ELE..283/2021/58, dated 15.09.2021, **Sh. Jadav Saikia**, a contesting candidate from **65-Kalaigaon** Assembly Constituency of Assam, 2021 has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show Cause notice No. 76/AS-LA/65/2021/CEMS-I, dated 14th October, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Jadav Saikia**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Jadav Saikia** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Mangaldoi** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Mangaldoi** District, has reported that the said notice was served to **Sh. Jadav Saikia** on 16.12.2021; and

WHEREAS, the CEO, Assam vide letter no ELE.323/2021/256, dated 04.04.2022 forwarded the District Election Officer, **Mangaldoi**, Supplementary Report stated that **Sh. Jadav Saikia** has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Jadav Saikia** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (c) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (d) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Jadav Saikia** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Jadav Saikia**, Vill-Upahupara (Milanpur) P.O:-Mangaldai, P.S:-Mangaldai, Dist:-Darrang (Assam) Pin-784125 and a contesting candidate in **65-Kalaigaon Assembly Constituency of Assam, 2021**, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/AS-LA/2021/CEMS-I]

By Order,

SUJEET KUMAR MISHRA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 जून, 2022

आ.अ. 129.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 05 मार्च, 2021 की अधिसूचना सं. 464/एस-एलए/2021 के अनुपालन में असम विधान सभा, 2021 के **65-कलाईगांव** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन आयोजित की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की एक सत्य प्रति उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत स्वयं अथवा अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल कराएगा; और

यतः, असम के **65-कलाईगांव** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 02 मई, 2021 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 01, जून, 2021 थी; और

यतः, आयोग ने, कोविड-19 की तत्कालीन व्याप्त महामारी की स्थिति को देखते हुए, 31 जुलाई, 2021 तक अभ्यर्थी द्वारा लेखे को विलंब से जमा करने की किसी भी घटना को माफ करने का निर्णय लिया; और

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम से दिनांक 15.09.2021 के उनके पत्र सं. ईएलई.283/2021/58 द्वारा प्राप्त **जिला निर्वाचन अधिकारी, मंगलदोई** की दिनांक 24.08.2021 की रिपोर्ट के अनुसार, असम के **65-कलाईगांव** विधान सभा क्षेत्र, 2021 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री राधे श्याम चौहान**, कानून के तहत यथापेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी के उक्त रिपोर्टों के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत, **श्री राधे श्याम चौहान** को निर्वाचन व्यय दाखिल नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/एस-एलए/65/2022/सीईएमएस-1, दिनांक 14 अक्टूबर, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **श्री राधे श्याम चौहान** को नोटिस के प्राप्त होने के तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, **मंगलदोई** को लेखा-प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **मंगलदोई** ने बताया है कि **श्री राधे श्याम चौहान** को उक्त नोटिस दिनांक **17.12.2021** को तामील किया गया था; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम ने पत्र सं. ईएलई 323/2021/256, दिनांक 04.04.2022 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, **मंगलदोई** की पूरक रिपोर्ट अग्रेषित की जिसमें यह उल्लेख है कि **श्री राधे श्याम चौहान** ने मूल वाउचर आदि के साथ विधिवत हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के उचित लेखे का कोई अभ्यावेदन या विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की प्राप्ति के बाद भी **श्री राधे श्याम चौहान** ने भारत निर्वाचन आयोग को कानून के तहत निर्धारित लेखा जमा करने में असफल रहने पर न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।";

यतः, तथ्यों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री राधे श्याम चौहान निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि **65-कलाईगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र असम, 2021** से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **श्री राधे श्याम चौहान, ग्राम सं.1 कलाईगांव, पोस्ट-कलाईगांव, थाना-कलाईगांव, जिला-उदलगुरी बीटीआर (असम)**, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/एस-एलए/2021/सीईएमएस-1]

आदेश से,

सुजीत कुमार मिश्र, सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th June, 2022

O.N. 129.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Assam, 2021 for **65-Kalaigaon** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/AS-LA/2021, dated 5th March, 2021; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **65-Kalaigaon** Assembly Constituency of Assam, 2021 was declared by the Returning Officer on 02nd May, 2021 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 01st June, 2021; and

WHEREAS, the Commission having regard to the then prevailing pandemic situation of Covid-19, decided to condone any incidence of late submission of account by candidate till 31st July, 2021; and

WHEREAS, as per the report dated 24.08.2021 of the **DEO, Mangaldoi**, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, received from the CEO, Assam vide his letter no. ELE..283/2021/58, dated 15.09.2021, **Sh.Radhe Shyam Chauhan**, a contesting candidate from **65-Kalaigaon** Assembly Constituency of Assam, 2021 has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/AS-LA/65/2021/CEMS-I, dated 14th October, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Radhe Shyam Chauhan**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Radhe Shyam Chauhan** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Mangaldoi** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Mangaldoi** District, has reported that the said notice was served to **Sh.Radhe Shyam Chauhan** on **17.12.2021**; and

WHEREAS, the CEO, Assam vide letter no ELE.323/2021/256, dated 04.04.2022 forwarded the District Election Officer, **Mangaldoi**, Supplementary Report stated that **Sh.Radhe Shyam Chauhan** has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Sh.Radhe Shyam Chauhan** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Radhe Shyam Chauhan** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Radhe Shyam Chauhan, Vill-No.1 Kalaigaon, PO:-Kalaigaon, PS:- Kalaigaon, Dist:-Udalguri BTR (Assam)** and a contesting candidate in **65-Kalaigaon Assembly Constituency of Assam, 2021**, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/AS-LA/2021/CEMS-I]

By Order,

SUJEET KUMAR MISHRA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 जून, 2022

आ.अ. 130.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 05 मार्च, 2021 की अधिसूचना सं. 464/एएस-एलए/2021 के अनुपालन में असम विधान सभा, 2021 के **68-दलगांव** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन आयोजित की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की एक सत्य प्रति उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत स्वयं अथवा अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल कराएगा; और

यतः, असम के **68-दलगांव** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 02 मई, 2021 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 01, जून, 2021 थी; और

यतः, आयोग ने, कोविड-19 की तत्कालीन व्याप्त महामारी की स्थिति को देखते हुए, 31 जुलाई, 2021 तक अभ्यर्थी द्वारा लेखे को विलंब से जमा करने की किसी भी घटना को माफ करने का निर्णय लिया; और

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम से दिनांक 15.09.2021 के उनके पत्र सं. ईएलई.283/2021/58 द्वारा प्राप्त **जिला निर्वाचन अधिकारी, मंगलदोई** की दिनांक 24.08.2021 की रिपोर्ट के अनुसार, असम के 68-दलगांव विधान सभा क्षेत्र, 2021 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री सैफुल हक**, कानून के तहत यथापेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी के उक्त रिपोर्टों के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत, **श्री सैफुल हक** को निर्वाचन व्यय दाखिल नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/एएस-एलए/65/2022/सीईएमएस-I, दिनांक 14 अक्टूबर, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **श्री सैफुल हक** को नोटिस के प्राप्त होने के तारीख से 20 दिनों के भीतर **जिला निर्वाचन अधिकारी, मंगलदोई** को लेखा-प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मंगलदोई ने बताया है कि श्री सैफुल हक को उक्त नोटिस दिनांक 18.12.2021 को तामील किया गया था; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम ने पत्र सं. ईएलई 323/2021/256, दिनांक 04.04.2022 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, मंगलदोई की पूरक रिपोर्ट अग्रेषित की जिसमें यह उल्लेख है कि श्री सैफुल हक ने मूल वाउचर आदि के साथ विधिवत हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के उचित लेखे का कोई अभ्यावेदन या विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की प्राप्ति के बाद भी श्री सैफुल हक ने भारत निर्वाचन आयोग को कानून के तहत निर्धारित लेखा जमा करने में असफल रहने पर न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”

यतः, तथ्यों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सैफुल हक निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि 68-दलगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र असम, 2021 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री सैफुल हक, ग्राम अथकुरियापारा, डाकघर-पथरीघाट, थाना-सिपाझाड़, जिला-दारंग (असम), पिन-784144 इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/एस-एलए/2021/सीईएमएस-I]

आदेश से,

सुजीत कुमार मिश्र, सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th June, 2022

O.N. 130.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Assam, 2021 for **68-Dalgaon** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/AS-LA/2021, dated 5th March, 2021; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **68-Dalgaon** Assembly Constituency of Assam, 2021 was declared by the Returning Officer on 02nd May, 2021 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 01st June, 2021; and

WHEREAS, the Commission having regard to the then prevailing pandemic situation of Covid-19, decided to condone any incidence of late submission of account by candidate till 31st July, 2021; and

WHEREAS, as per the report dated 24.08.2021 of the **DEO, Mangaldoi**, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, received from the CEO, Assam vide his letter no. ELE..283/2021/58, dated 15.09.2021, **Sh. Saiful Hoque**, a contesting candidate from **68-Dalgaon** Assembly Constituency of Assam, 2021 has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/AS-LA/68/2021/CEMS-I, dated 14th October, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections

Rules, 1961 by the Election Commission of India **Sh. Saiful Hoque**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Saiful Hoque**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Mangaldoi** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Mangaldoi** District, has reported that the said notice was served to **Sh. Saiful Hoque**, on **18.12.2021**; and

WHEREAS, the CEO, Assam vide letter no ELE.323/2021/256, dated 04.04.2022 forwarded the District Election Officer, **Mangaldoi**, Supplementary Report stated that **Sh. Saiful Hoque**, has not submitted any representation or a statement of correct account of election expenses duly signed along with original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Saiful Hoque**, has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Saiful Hoque**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Saiful Hoque, Vill-Athkuriapara, P.O. Patharighat, P.S. Sipajhar, Dist:-Darrang (Assam), Pin-784144** and a contesting candidate in **68-Dalgaon Assembly Constituency of Assam, 2021**, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/AS-LA/2021/CEMS-I]

By Order,

SUJEET KUMAR MISHRA, Secy.